निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशक ३१ मार्च २०२० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी के ८१वें वार्षिक रिपोर्ट को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। यह रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ ("सेबी सूचीकरण विनियम") तथा कंपनी के लिए लागू अन्य नियमों एवं विनियमों के अनुरूप उनके प्रावधानों के अंतर्गत है।

वित्तीय परिणाम

स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं :

(राशि : ₹ करोड़ में, प्रति शेयर आय ("ईपीएस") के लिए छोड़कर)

विवरण	वित्तीय वर्ष २०१९-२०	वित्तीय वर्ष २०१८-१९
प्रचालनों एवं अन्य आय से प्राप्त राजस्व	५,०२९.७२	६,७३८.५७
वित्तीय लागत एवं मूल्यह्रास के पूर्व सकल लाभ	२५९.५६	४१३.७८
घटाएं : वित्तीय लागत	१६९.१६	११५.८८
घटाएं : मूल्यह्रास	६८.०१	३८.४६
अपवादात्मक मदों और कर से पहले लाभ / (हानि)	२२.३९	२५९.४४
अपवादात्मक मदें	-	-
करों के पूर्व लाभ /(हानि)	२२.३९	२५९.४४
घटाएं : कर व्ययों के लिए प्रावधान	२२.५२	९२.३७
कर पश्चात लाभ /(हानि)	(०.१३)	१६७.०७
घटाएं : अन्य व्यापक आय	८.५४	४.२९
जोड़ें : लाभ और हानि खाते में अतिशेष	३१४.१२	१९४.४५
घटाएँ : लाभांश, जिसमें वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश वितरण कर शामिल है	४३.२२	४३.१०
अनुभाजन के लिए उपलब्ध अतिशेष	२६२.२३	३१४.१२
सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरित राशि	-	-
बेसिक ईपीएस (₹)	(०.०१)	१६.१७
डाइल्यूटेड ईपीएस (₹)	(०.०१)	१६.१३

समेकित वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं :

(राशि : ₹ करोड़ में, ईपीएस के लिए छोड़कर)

विवरण	वित्तीय वर्ष २०१९-२०	वित्तीय वर्ष २०१८-१९
प्रचालनों व अन्य आय से प्राप्त राजस्व	५,०३३.३९	६,७४४.३६
अपवादात्मक मदों और कर से पहले लाभ / (हानि)	१०.०१	२४३.५१
अपवादात्मक मदें	-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि)	१०.०१	२४३.५१
सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के लाभ / (हानि) का हिस्सा	(२.८५)	(२.३९)
करों से पहले लाभ / (हानि)	७.१६	२४१.१२
घटाएं : कर व्ययों के लिए प्रावधान	१७.४४	८७.५५
अवधि के लिए लाभ / (हानि)	(१०.२९)	१५३.५८
बेसिक ईपीएस (₹)	(०.९९)	१४.८७
डाइल्यूटेड ईपीएस (₹)	(०.९९)	१४.८३

विगत चार वर्षों के लिए और ३१ मार्च २०२० को समाप्त वर्ष के लिए निवल सम्पत्ति पर प्रतिफल, नियोजित पूँजी पर प्रतिफल और ईपीएस को निम्नानुसार दर्शाया गया है :

विवरण	२०१९-२०	२०१८-१९	२०१७-१८	२०१६-१७	२०१५-१६
निवल सम्पत्ति पर प्रतिफल (%)	(०.०१)	१५.५०	८.८५	१२.३५	१२.७२
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (%)	८.२०	१४.१३	१३.४३	१७.५४	२६.८९
आधारभूत ईपीएस (अपवादात्मक मदों के बाद) (₹)	(०.०१)	१६.३४	८.२३	१०.६५	९.४८

कंपनी के वित्तीय परिणाम प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में सविस्तार दिए गए हैं, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है ।

कंपनी मामलों/परिचालनों की स्थिति

- उपभोक्ता उत्पाद अनुभाग की आय १२.५५% बढ़कर ₹ ३०८४.६२ करोड़ हो गई है।
- ईपीसी अनुभाग की आय ५१.८९% घटकर ₹ १८९१.७६ करोड़ हो गई है।
- निर्यात २४.१७% बढ़कर ₹ ११३.८६ करोड़ हो गया है।

३१ मार्च, २०२० को, पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों सहित सकल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ ₹ ४५२.२४ करोड़ की थीं और पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों सहित शुद्ध संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ ₹ २८३.७३ करोड़ की थीं। वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ २९.२१ करोड़ (विगत वर्ष में ₹ ५४.६० करोड़) था।

३१ मार्च, २०२० को कंपनी का रोकड़ और रोकड़ समतुल्य ₹ १०१.६१ करोड़ था। कंपनी रोकड़ और रोकड़ प्रवाह प्रक्रियाओं, जिसमें व्यवसाय के सभी भाग शामिल हैं, का लगन से प्रबंधन करती है। कंपनी अपनी कार्यशील पूँजी के विवेकपूर्ण प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए है। निरंतर निगरानी के माध्यम से प्राप्य राशियों, मालसूचियों और अन्य कार्यशील पूँजी मापदंडों को कठोर नियंत्रण के अधीन रखा गया था। विदेशी मुद्रा के लेनदेन आंशिक रूप से आवरित किए गए हैं और कंपनी के आयातों और निर्यातों के संदर्भ में कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण अनावरित विनिमय दर जोखिम नहीं है। हर तिमाही के अंत में मार्क-टु-मार्केट लाभों या हानियों के कंपनी के खाते इंड एएस २१ की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

इस समीक्षा अंतर्गत वर्ष के दौरान, कंपनी ने राइट्स इशू के माध्यम से ₹ ३४९.९२ करोड़ जुटाए, जिसका उद्देश्य इस प्राप्ति का उपयोग कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए कुछ ऋणों का संपूर्ण या आंशिक रूप से पूर्व-भुगतान या पुनर्भुगतान करने एवं सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करने का था।

कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय से सामान्य रिजर्व में कोई धनराशि हस्तांतरित नहीं की थी।

इस समीक्षा अंतर्गत वर्ष के दौरान, कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कंपनी के विभिन्न व्यवसायिक अनुभागों के परिचालनों की विस्तृत जानकारी प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दी गई है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ, जो इस वित्तीय वर्ष के अंत के बीच हुई हैं, जिनसे यह वित्तीय विवरण इस रिपोर्ट की तिथि तक संबंधित है।

कोरोनावायरस (कोविड-१९) महामारी

कोविड-१९ ने भारत में और संपूर्ण विश्व में पैर पसार लिए हैं और इसने देश को बड़ी मंदी की ओर धकेला है। इस वृहत स्वास्थ्य संकट ने विश्वभर की सरकारों को अपने लोगों का जीवन बचाने के लिए अभूतपूर्व उपाय करने को विवश कर दिया। कोविड-१९ के खतरे से निपटने के लिए दिनांक २४ मार्च, २०२० को भारत सरकार द्वारा पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसे आगे चलकर अनेक चरणों में आगे बढ़ाया गया।

कोविड-१९ महामारी के कारण विभिन्न गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों और लॉकडाउन से, जो कि इसके प्रसार को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक भी था, सभी व्यवसायों के सामने अभूतपूर्व चुनौतियाँ सामने आ खड़ी हुई, और कंपनी के व्यवसायिक परिचालन भी इससे अछूते नहीं रहे।

कंपनी के परिचालनों पर कोविड-१९ के प्रभाव बड़े हानिकारक रहे। देश के अनेक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन के साथ, आपूर्ति श्रंखलाएँ अत्यंत तनाव ग्रस्त रहीं, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसाय का नुकसान हुआ और प्राप्तियों की वसूली कम होने, परिचालन के व्यय होने, वेन्डरों व वैधानिक प्राधिकरणों को भुगतान की बाध्यताएँ होने, आदि के कारण नकदी प्रवाह/तरलता/लाभदायकता/मुनाफे का नुकसान हुआ।

हालाँकि, कंपनी के प्रबंधन को इस बात का विश्वास है कि व्यवसायिक परिचालन अब विकासात्मक रूप से बढ़ेगा।

जमा

इस समीक्षा अंतर्गत वर्ष के दौरान, कंपनी ने अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आवरित कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं। तदनुसार, जमाओं से संबंधित विवरणों के बारे में कोई प्रकटीकरण या प्रतिवेदन आवश्यक नहीं है।

शेयर पूँजी

३१ मार्च, २०२० को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी ₹ २२.७५ करोड़ थी। इस वर्ष के दौरान शेयरों की संख्या में वृद्धि (१) राइट्स इश्यू के अंतर्गत योग्य आवेदकों को ₹ २ प्रत्येक के ११,२८७,९५६ इक्विटी शेयरों के आवंटन, जिसके विवरण इस प्रतिवेदन में बाद में दिए गए हैं; और (२) कर्मचारियों को उनके स्टॉक विकल्पों के उपयोग पर ₹ २ प्रत्येक के ८०,१५० इक्विटी शेयरों के आवंटन के कारण है। ईपीएस की गणना के लिए, भारित औसत के आधार पर इन शेयरों को शामिल किया गया है। कंपनी ने अंतरीय मताधिकारों के साथ शेयर जारी नहीं किए हैं।

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मतदान के अधिकार का सीधे प्रयोग नहीं करने के संबंध में अधिनियम की धारा ६७ (३) (सी) के अधीन किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त धारा के प्रावधान लागू नहीं हैं।

कंपनी के इक्विटी शेयर्स बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई", और बीएसई के साथ, "स्टॉक एक्सचेंजेस") पर सूचीबद्ध बने रहेंगे। वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के लिए सूचीकरण शुल्क का भुगतान स्टॉक एक्सचेंजेस को कर दिया गया है।

राइट्स इश्यू

मंडल ने दिनांक ६ जनवरी, २०२० को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के योग्य इक्विटी शेयर धारकों को राइट्स इशू ("इशू") के माध्यम से कंपनी के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर जारी करने की स्वीकृति दी, जो ₹ ३५० करोड़ (रुपए तीन सौ पचास करोड़) से अधिक नहीं थे और जो एक रिकॉर्ड तिथि पर एवं ऐसी अन्य शर्तों पर थी, जो कि लागू कानून के अनुरूप थी, जिनमें अधिनियम एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियम तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल (पूँजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१८, यथा संशोधित शामिल हैं।

इस इशू एवं इसके आकस्मिक मसलों के उद्देश्य से, मंडल की एक राइट्स इशू समिति, जिसमें श्री शेखर बजाज, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक, श्री सिद्धार्थ मेहता, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक एवं श्री अनुज पोद्दार, कार्यकारी निदेशक शामिल हैं, का गठन किया गया था।

राइट्स इशू समिति ने दिनांक ३१ जनवरी, २०२० को आयोजित अपनी बैठक में रिकॉर्ड दिनांक, जो कि ६ फरवरी, २०२० है, पर योग्य इक्विटी शेयर धारकों द्वारा धारित प्रत्येक ११८ इक्विटी शेयरों के लिए १३ राइट्स इक्विटी शेयरों के अनुपात में योग्य इक्विटी शेयर धारकों को एक राइट्स आधार पर ₹ ३४९.९९ करोड़ ("इशू आकार") तक के समेकित मूल्य के इक्विटी शेयर ₹ ३१० प्रति (₹ ३०८ प्रति राइट्स इक्विटी शेयर की एक प्रीमियम सहित) के मूल्य पर राइट्स इशू के माध्यम से ₹ २ प्रत्येक के अंकित मूल्य के १,१२,९०,१४२ इक्विटी शेयर जारी करने की स्वीकृति दी।

यह इशू दिनांक १८ फरवरी, २०२० को सबस्क्रिप्शन के लिए खोला गया था और दिनांक ३ मार्च, २०२० को बंद कर दिया गया, जिसमें ये दोनों तिथियाँ शामिल हैं ("इशू अवधि")। इस इशू के उद्देश्य से, पदनामित स्टॉक एक्सचेंज था बीएसई।

इशू अवधि के दौरान, योग्य आवेदकों द्वारा इशू को उसके आकार के १२८.७९% तक सब्स्क्राइब किया गया। बीएसई के साथ यथोचित परामर्श के बाद, राइट्स इशू समिति ने दिनांक १३ मार्च, २०२० को आयोजित अपनी बैठक में इस इशू में योग्य आवेदकों को १,१२,८७,९५६ राइट्स इक्विटी शेयरों के आवंटन की स्वीकृति दी। उक्त इक्विटी शेयर दिनांक १८ मार्च, २०२० से प्रभावी होकर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध एवं व्यापार हेतु अनुमत हुए।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) (बैंकिंग प्रभाग) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ५ मार्च, २०२० को १८.०० बजे से से लेकर ३ अप्रैल २०२० तक येस बैंक लिमिटेड ("येस बैंक") पर रोक लगाने के आलोक में, येस बैंक की अवरुद्ध राशि ("एएसबीए") सुविधा द्वारा समर्थित एप्लीकेशंस का उपयोग करके राइट्स इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन करने वाले ४८ आवेदकों के २,१८६ राइट्स इक्विटी शेयरों को स्थगित रखा गया था और जिन्हें अपेक्षित फंड की प्राप्ति के बाद आवंटित किया जाना था। कंपनी ने इन आवेदकों को नियामक प्राधिकरणों द्वारा येस बैंक पर स्थगन हटाने की तिथि से १५ दिनों के भीतर भुगतान करने का विकल्प दिया था, जिसे इसके बाद जब्त कर लिया जाएगा।

येस बैंक पर रोक को १९ मार्च, २०२० से प्रभावी होने के साथ हटा लिया गया। इसके बाद, १५ दिनों की दी गई अवधि के दौरान यानी २ अप्रैल, २०२० तक, कंपनी को १ आवेदक से ७ राइट्स इक्विटी शेयरों के संबंध में ₹ २,१७० रुपए प्राप्त हुए।

निदेशक मंडल ने १४ मई, २०२० को हुई अपनी बैठक में १ आवेदक को ₹ ३०८ प्रति राइट्स इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित, ₹ ३१० प्रति राइट्स इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर इशू के अनुसार स्थगित रखे गए इन ७ राइट्स इक्विटी शेयरों के आवंटन पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया। इसके अलावा, चूँकि, कंपनी को अन्य ४७ आवेदकों से, अनुस्मारक देने के बावजूद अपेक्षित फंड नहीं मिला है, अत: इसी बैठक में निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार इन आवेदकों के लिए स्थगित रखे गए शेष २,१७९ राइट्स इक्विटी शेयरों को जब्त कर लिया गया। उक्त ७ इक्विटी शेयरों को ३ जून, २०२० से प्रभावी होने के साथ स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया गया और उनका व्यापार करने की अनुमति दी गई।

कंपनी ने प्रस्ताव दस्तावेज में वर्णित उद्देश्यों से विचलित हुए बिना इशू की प्राप्तियों का पूर्ण उपयोग किया है।

डिपॉज़िटरी प्रणाली

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यापार योग्य हैं। ३१ मार्च २०२० को, ११२,०८४,८५१ इक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी की कुल ९८.५२% चुकता पूँजी डिमटेरियलाइज्ड रूप में है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल (सेबी) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/२०१८/२४ दिनांकित ८ जून २०१८ के प्रावधानों और प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित ३ दिसंबर २०१८ के आलोक में सदस्य कृपया ध्यान रखें कि १ अप्रैल २०१९ से प्रभावी, शेयरों का हस्तांतरण (शेयरों का ट्रांसमिशन और पक्षांतरण छोड़कर) केवल डिमटेरियलाइज्ड रूप में होगा। डिपॉज़िटरी प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई सुविधाओं का लाभ उठाने के साथ-साथ धोखाधड़ी से बचने के लिए, भौतिक रीति से शेयरधारक सदस्यों को दोनों डिपॉज़िटरीयों, अर्थात, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड में से किसी से भी डिमटेरियलाइजेशन की सुविधा का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है।

लाभांश और लाभांश वितरण नीति

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष २०१९-२० के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की है।

सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम ४३ ए में उल्लेखित आवश्यकताओं वाली लाभांश वितरण नीति अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है और इस प्रतिवेदन का भाग है। कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर भी इस नीति को देखा जा सकता है।

प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रों का निर्गमन

वित्त वर्ष २०१८-१९ के दौरान, कंपनी ने तीन विकल्पों यानी; ३५० एनसीडी के विकल्प ए, ७५० एनसीडी के विकल्प बी तथा ७५० एनसीडी के विकल्प सी में प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर ₹ १८५ करोड़ पूर्ण योग के ₹ १०,००,०००/- प्रत्येक के १८५० असुरक्षित सूचीबद्ध मोचनयोग्य गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र ("एनसीडी") जारी किए हैं, जो क्रमशः आईएसआईएन 'आईएनई१९३ई०८०३८', 'आईएनई१९३ई०८०२०' और 'आईएनई१९३ई०८०१२' के अंतर्गत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। उक्त एनसीडी में से विकल्प ए एनसीडी १९ फरवरी २०२१ को मोचन के लिए देय है।

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ लिमिटेड ऋणपत्र धारकों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी है। इसका विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन अनुभाग में प्रदान किया गया है जो कि इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। पुनश्च, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन ५३ के अनुसार, "संबंधित पक्ष प्रकटीकरणों" पर लेखांकन मानक का अनुपालन करते हुए प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिया गया है।

क्रेडिट रेटिंग

नीचे दी गई तालिका में कंपनी के क्रेडिट रेटिंग प्रोफ़ाइल को संक्षेप में दर्शाया गया है :

इंस्ट्रूमेंट	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आउटलुक
४,७४२.५० करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट ("एलओसी")	आईसीआरए लिमिटेड	[इक्रा] ए-(दिर्घावधि एलओसी के लिए)	नकारात्मक
		[इक्रा] ए२+(अल्पावधि एलओसी केलिए)	
३५० करोड़ रुपए का एनसीडी कार्यक्रम	आईसीआरए लिमिटेड	[इक्रा] ए-	
५०० करोड़ रुपए का कमर्शियल पेपर ("सीपी") कार्यक्रम	आईसीआरए लिमिटेड	[इक्रा] ए२+	
	केयर रेटिंग्ज़ लिमिटेड	केयर ए१ (ए वन)	-

ध्यान दें : कंपनी द्वारा सीपी के पूर्ण पुनर्भुगतान के परिणामस्वरूप, कंपनी के अनुरोध पर केयर रेटिंग्ज़ लिमिटेड और आईसीआरए लिमिटेड ने इसका संज्ञान लिया है और तत्पश्चात एक प्रक्रिया के रूप में कंपनी की सीपी कार्यक्रम की उपरोक्त क्रेडिट रेटिंग को वापस ले लिया गया है। इसके अलावा, कंपनी के अनुरोध पर, आईसीआरए लिमिटेड ने कंपनी के १५० करोड़ रुपए के प्रस्तावित एनसीडी कार्यक्रम (३५० करोड़ रुपए के कुल एनसीडी कार्यक्रम में से) को आवंटित अनंतिम क्रेडिट रेटिंग की वापसी की भी सूचना दी है क्योंकि कंपनी ने इन एनसीडी को जारी नहीं किया है।

संबंधित पक्ष लेनदेन

अधिनियम और सेबी सूचीबद्धता विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप, कंपनी ने संबंधित पक्ष लेनदेनों के अहमियत के संबंध में नीति बनाई है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट www.bajajelectricals.com पर भी उपलब्ध है। इस नीति का अभिप्राय यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी और उसके संबंधित पक्षों के बीच सभी लेन-देनों के लिए उचित प्रतिवेदन, अनुमोदन और प्रकटीकरण प्रक्रियाएँ विद्यमान हों।

समीक्षा और अनुमोदन के लिए सभी संबंधित पक्ष लेनदेनों को लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। अधिनियम के प्रावधानों और सर्वग्राही अनुमोदन के संबंध में सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुसार, ऐसे लेन-देनों के लिए वार्षिक आधार पर संबंधित पक्ष लेन-देनों के लिए पूर्व प्रयोजनीय अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जो दोहराव वाली प्रकृति के होते हैं और व्यवसाय के सामान्य क्रम में दर्ज किए जाते हैं और हाथ भर की दूरी पर होते हैं। प्रयोजनीय अनुमोदन के अनुसार दर्ज किए गए लेन-देन वित्त विभाग द्वारा सत्यापित किए जाते हैं और सभी संबंधित पक्ष लेनदेनों का विवरण देने वाले विवरण तिमाही आधार पर समीक्षा और अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति और मंडल के समक्ष रखे गये है।

समीक्षाधीन वर्ष के लिए संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेन-देन व्यवसाय के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष वाणिज्यिक आधार पर थे। कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन, अर्थात अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार वार्षिक समेकित टर्नओवर के १०% से अधिक के लेनदेन नहीं किए गए थे। तदनुसार, फॉर्म एओसी-२ में अधिनियम की धारा १३४ (३) (एच) के अंतर्गत यथा आवश्यक संबंधित पक्ष लेनदेनों का प्रकटीकरण लागू नहीं होता है। पुनश्च, प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं था, जिनका समग्र रूप से कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता था।

सभी संबंधित पक्ष लेनदेनों का लेखों की टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है। निदेशक स्वचलित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. ३८ की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं जो संबंधित पक्ष प्रकटीकरण का वर्णन करते हैं।

सेबी सूचीकरण विनियमों की अनुसूची V के भाग ए की धारा २ के साथ पठित विनियमन ३४ (३) और ५३ (एफ) के प्रावधानों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई संबंधित पक्ष प्रकटीकरण पर लेखांकन मानक का अनुपालन करते हुए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में प्रकटीकरण करेगी। आवश्यक प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं :

(राशि : ₹ करोड़ में)

नाम	श्रेणी	३१ मार्च २०२० को ऋणों और अग्रिमों का शेष*	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया*
निर्लेप एप्लायन्सेस प्राइवेट लिमिटेड ("निर्लेप")	सहायक कंपनी	२६.००	२६.००
हिंद लैम्प्स लिमिटेड ("हिंद लैम्प्स")	सहयोगी कंपनी	१५.७७	१५.७७
स्टारलाइट लाइटिंग लिमिटेड ("स्टारलाइट")	संयुक्त उद्यम	-	-

*व्यापार अग्रिमों को छोड़कर।

समीक्षा अंतर्गत वर्ष के दौरान, कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में १०% या उससे अधिक शेयर रखने वाले प्रमोटर/प्रमोटर समूह से संबंधित निम्नलिखित व्यक्ति या इकाई (इकाइयाँ) थीं :

व्यक्ति/इकाई का नाम	शेयरधारकता (%)
जमनालाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड	१९.६९
बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	१६.५२

सेबी सूचीकरण विनियमों की अनुसूची V के भाग ए की धारा २ए के साथ पठित विनियम ३४ (३) और ५३ (एफ) के प्रावधानों के अनुसार लेनदेनों का प्रकटीकरण अनुलग्नक बी के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का भाग है।

ऋणों और अग्रिमों, गारंटियों या निवेश के विवरण

इस अधिनियम की धारा १८६ और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, दिए गए ऋणों, किए गए निवेशों या दी गई गारंटियों या उपलब्ध करवाई गई प्रतिभूतियों के विवरण स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिए गए हैं।

नियामक या न्यायालयों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण आदेश

नियामक/ न्यायालयों /न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया ऐसा कोई महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण आदेश नहीं है, जो कंपनी की मौजूदा सक्रिय स्थिति को और उसके गतिविधि को भविष्य में प्रभावित कर सकता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") पर नीति विद्यमान है और कंपनी ने विभिन्न सीएसआर गतिविधियाँ कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत एक सीएसआर समिति का गठन किया है। सीएसआर समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री शेखर बजाज और समिति के सदस्य के रूप में डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी और श्री सिद्धार्थ मेहता से मिलकर बनी थी। सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर उपलब्ध है।

सीएसआर समिति के बारे में अन्य विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में प्रदान किए गए हैं जो इस रिपोर्ट का भाग हैं।

कंपनी ने सीधे और/या कार्यान्वित करने वाले सहभागियों के माध्यम से विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है और कंपनी ने उसकी सीएसआर नीति और अधिनियम की अनुसूची VII के अनुसार यह परियोजनाएँ आरंभ की हैं।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, २०१४ के अंतर्गत यथा आवश्यक सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट अनुलग्नक सी में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम ३४ (२) के प्रावधानों, यथा संशोधित, के अनुसार, बाजार पूँजीकरण के आधार पर शीर्ष १००० सूचीबद्ध संस्थाओं के वार्षिक रिपोर्ट में व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट ("बीआरआर") शामिल होगा।

कंपनी ने, ऐसी शीर्ष १००० सूचीबद्ध इकाइयों में से एक होने के नाते, इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग रूप में, वित्त वर्ष २०१९-२० के लिए बीआरआर को शामिल किया है जो पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन के परिप्रेक्ष्य से उठाए गए कदमों का वर्णन करता है। बीआरआर को कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर भी होस्ट किया गया है।

कॉर्पोरेट प्रशासन

कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च मानक बनाए रखना आपकी कंपनी के व्यवसाय का इसकी शुरूआत से ही मूल सिद्धांत रहा है।

सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची V के साथ पठित नियम ३४ (३) के अनुसार, फॉलोअिंग डिक्लरेशन/ प्रमाण-पत्र के साथ कंपनी द्वारा अनुसरित कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं पर एक अलग अनुभाग इस कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्टिंग का अभिन्न अंग है।

१. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री शेखर बजाज द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा में कहा गया है कि निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने कंपनी की व्यापार आचरण और आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है;

२. कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों से कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाला अनुपालन प्रमाण पत्र;

३. कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक से निदेशकों के अपात्र न होने का प्रमाण पत्र; और

४. अन्य बातों के साथ, वित्तीय विवरणों और रोकड़ प्रवाह विवरणों की शुद्धता, आंतरिक नियंत्रण उपायों की पर्याप्तता और लेखा परीक्षा समिति को मामलों की सूचना की पुष्टि करने वाला कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तिय अधिकारी का प्रमाण पत्र भी कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट में संलग्न किया गया है।

वार्षिक विवरण का उद्धरण

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम १२ के साथ पठित अधिनियम की धारा ९२ (३) के प्रावधानों के अनुसार, फॉर्म एमजीटी-९ में वार्षिक विवरण का उद्धरण अनुलग्नक डी में दिया गया है, जो कि इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

इसके अलावा, निर्धारित फॉर्म एमजीटी-७ में वार्षिक विवरण कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर उपलब्ध है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी सूचीबद्धता विनियमो के अंतर्गत यथा आवश्यक कंपनी के परिचालनों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट एक अलग अनुभाग में प्रदान किया गया है और इस वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

चौकसी तंत्र

वास्तविक चिंताओं या किसी खराब या अस्वीकार्य परिपाटी और कदाचार की किसी घटना के बारे में शिकायत और ऐसे व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करने के लिए कंपनी की व्हिसिल ब्लोअर नीति है जो ऐसे तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। व्हिसिल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट: www.bajajelectricals.com पर डाली गई है।

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना

कंपनी ने कर्मचारियों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने के साथ-साथ प्रतिभा को आकर्षित करने और टिकाए रखने के उपाय के तौर पर सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, २०१४ ('सेबी एसबीईबी विनियम') के अनुपालन में कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना ("ईएसओपी योजना") कार्यान्वित की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ईएसओपी योजनाओं में कोई ठोस परिवर्तन नहीं हुआ है और ईएसओपी योजनाए सेबी एसबीईबी विनियमों के अनुसार हैं।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, पात्र कर्मचारियों को ग्रांट की तिथि को एनएसई पर तत्कालीन मार्केट कीमत पर ४,६५,००० स्टॉक विकल्प प्रदान किए गए थे। ईएसओपी योजना के अंतर्गत जारी किए गए शेयरों के विवरण, साथ ही सेबी एसबीईबी विनियमों का अनुपालन करते हुए प्रकटीकरण भी जो इस रिपोर्ट का भाग है, कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर अपलोड किए गए हैं। किसी भी कर्मचारी को वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ग्रांट के समय जारी पूंजी के १% के समान या इससे अधिक के स्टॉक विकल्प जारी नहीं किए गए हैं। स्टॉक विकल्पों का प्रयोग करने के अनुसार इक्विटी शेयरों को जारी करना कंपनी के लाभ एवं हानि खाते को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि इसका प्रयोग स्वीकृति की तारीख पर प्रचलित मार्केट मूल्य के साथ-साथ लागू करों पर किया जाता है।

कंपनी ने वैधानिक लेखा परीक्षकों से एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, जिसमें यह कहा गया है कि ईएसओपी योजना को एसबीईबी विनियमों के अनुसार क्रियान्वित किया गया है। उक्त प्रमाणपत्र को एजीएम सूचना के परिपत्र की तिथि से एजीएम की तिथि, यानी २८ अगस्त, २०२० तक legal@bajajelectricals.com पर कंपनी को लिखित में देकर इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा।

मंडल ने दिनांक १९ जून, २०२० को हुई अपनी बैठक में, कंपनी की 'बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना २०१५' ("योजना") में किसी वैयक्तिक कर्मचारी को इस योजना के अंतर्गत आवंटित किए जाने वाले कर्मचारी स्टॉक विकल्पों ("विकल्प") की अधिकतम संख्या की सीमा को ४०,००० (चालीस हजार) विकल्पों से बढ़ाकर १,००,००० (एक लाख) विकल्प करके संशोधन को अनुमोदित किया है, जो कि कंपनी की आगामी ८१वीं एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहयोगी :

कंपनियों की सहायक कंपनी /सहयोगी कंपनियाँ/संयुक्त उद्यमों का विवरण :

कंपनी का नाम	३१ मार्च २०२० के अनुसार कंपनी की % हिस्सेदारी	स्थिति
निर्लेप	७९.८५	सहायक कंपनी
हिंद लैम्प्स	१९.००	सहयोगी
स्टारलाइट	४७.००	संयुक्त उद्यम

सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहयोगियों का प्रदर्शन

निर्लेप : वित्त वर्ष २०१९-२० में निर्लेप की कुल आय ₹ ४२.२१ करोड़ (गत वर्ष : ₹ ४८.८३ करोड़) थी। वर्ष के दौरान नुकसान ₹ ४.३६ करोड़ (गत वर्ष : ₹ २१.९८ करोड़) था।

हिंद लैम्प्स : वित्तीय वर्ष २०१९-२० के लिए हिंद लैम्प्स की कुल आय ₹ ५९.०९ करोड़ रही (पिछले वर्ष : ₹ ५७.७१ करोड़)। इस वर्ष के लिए नुकसान ₹ ११.०६ करोड़ था (पिछले वर्ष का नुकसान : ₹ १२.५८ करोड़)।

स्टारलाइट : वित्तीय वर्ष २०१९-२० के लिए स्टारलाइट की कुल आय ₹ १७३.४४ करोड़ रही (पिछले वर्ष : ₹ १३९.४६ करोड़)। इस वर्ष के लिए नुकसान ₹ ४९.२९ करोड़ था (पिछले वर्ष का नुकसान : ₹ ९७.५२ करोड़)।

इस अधिनियम की धारा १२९ (३) के प्रावधानों के अनुसार, सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरण में शामिल है और फॉर्म एओसी-१ में कंपनी के समग्र प्रदर्शन में उनका योगदान अनुलग्नक ई में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

अधिनियम की धारा १३६(१) के तीसरे परंतुक के अनुसार, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें कंपनी का निष्पक्ष और समेकित वित्तीय विवरण शामिल है, कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, उक्त धारा के चौथे परंतुक के अनुसार, कंपनी की सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहयोगी के वार्षिक खाते भी कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर उपलब्ध हैं। उपरोक्त दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने में रुचि रखने वाले किसी भी सदस्य द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव से पत्राचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उक्त दस्तावेज कंपनी के शेयरधारकों द्वारा परीक्षण के लिए शनिवार, रविवार, सार्वजनिक अवकाश और राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों के दौरान सुबह ११.०० बजे से दोपहर ०१.०० बजे के बीच उपलब्ध रहेंगे।

मंडल द्वारा यथा अनुमोदित मूर्त सहायक कंपनि को निर्धारित करने की नीति तक कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर पहुँचा जा सकता है।

कंपनी में हिंद लैम्प्स लिमिटेड के विनिर्माण व्यवसाय के डीमर्जर के लिए व्यवस्था की योजना

क्रमशः २१ फरवरी, २०१९, २२ फरवरी, २०१९ और १९ मार्च, २०१९ को माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ ("एनसीएलटी, मुंबई") द्वारा आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इक्विटी शेयरधारकों, असुरक्षित लेनदारों और सुरक्षित लेनदारों ने इस अधिनियम की धारा २३०-२३२ तथा अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी ने हिंद लैम्प्स लिमिटेड के विनिर्माण व्यवसाय के डीमर्जर के लिए व्यवस्था की योजना ("योजना") को स्वीकृती प्रदान की। तत्पश्चात, कंपनी ने २८ मार्च, २०१९ को माननीय एनसीएलटी में एक याचिका दायर की।

एनसीएलटी, इलाहाबाद द्वारा आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में अपने इक्विटी शेयरधारकों, असुरक्षित लेनदारों और सुरक्षित लेनदारों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद हिंद लैम्प्स लिमिटेड ने इसी तरह की याचिका माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इलाहाबाद पीठ ("एनसीएलटी, इलाहाबाद") में दायर की थी।

एनसीएलटी, इलाहाबाद और एनसीएलटी, मुंबई ने, देखें उनका आदेश क्रमशः ७ जनवरी, २०२० और २१ मई, २०२०, इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

यह योजना उस तिथि से प्रभावी होगी जिस दिन एनसीएलटी, मुंबई के आदेश की प्रमाणित प्रतियाँ मुंबई स्थित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास दाखिल की गई हैं।

यह योजना प्रभावी होने पर, योजना के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा २ (१९एए) के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए डीमर्जर के लिए प्रतिफल के रूप में हिंद लैम्प्स लिमिटेड के शेयरधारकों (स्वयं कंपनी को छोड़कर) को ₹ २ प्रत्येक के अंकित मूल्य के कंपनी के ४७१४२० पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करेगी, जो कि कंपनी और हिंद लैम्प्स लिमिटेड द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त स्वतंत्र मूल्यांकन फर्म मेसर्स कात्रे बर्वे एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई द्वारा यथा अनुशंसित शेयर स्वत्वाधिकार अनुपात (यानी ₹ २५ प्रत्येक अंकित मूल्य के एचएलएल के १००० इक्विटी शेयरों के लिए ₹ २ प्रत्येक अंकित मूल्य के कंपनी के ९७ इक्विटी शेयर) पर आधारित है।

इसके अलावा, यह योजना लागू होने पर, हिंद लैम्प्स लिमिटेड का डीमर्ज्ड उपक्रम योजना के अनुसार ३१ मार्च, २०१४ की नियत तिथि से प्रभावी होने के साथ उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी को अंतरित या कंपनी में निहित रहेगा या कंपनी को अंतरित या कंपनी में निहित माना जाएगा।

समेकित वित्तीय विवरण

निदेशक लेखा-परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें सहायक कंपनी, सहयोगी व संयुक्त उद्यमों के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं जिन्हें अधिनियम के अनुपालन में, लागू लेखा मानकों तथा सेबी सूचीबद्धता विनिमय पर तैयार किया गया है, तथा वे इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

वित्तीय विवरण

३१ मार्च २०२० को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण अधिनियम की अनुसूची III के अनुसार है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक ("केएमपी")

समीक्षा अंतर्गत वर्ष के दौरान, अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सेबी सूचीकरण विनियमों और कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, शेयरधारकों ने कंपनी की ८०वीं एजीएम में निम्नांकित की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की :

१. साधारण प्रस्ताव पारित करके १ नवंबर, २०१८ से कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में श्रीमती पूजा बजाज (डीआईएन : ०८२५४४५५), जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं;

२. साधारण प्रस्ताव पारित करके १ नवंबर, २०१८ से ३१ अक्टूबर, २०२३ तक क्रमागत ५ (पाँच) वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में पद धारण करने के लिए श्री मुनीश खेत्रपाल (डीआईएन : ०८२६३२८२) की जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होने के लिए उत्तरदायी हैं;

३. साधारण प्रस्ताव पारित करके २२ मई, २०१९ से प्रभावी, कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री राजीव बजाज (डीआईएन : ०००१८२६२) की, जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं; और

४. ऐसे नियमों और शर्तों पर, विशेष प्रस्ताव पारित करके ५ (पाँच) वर्षों की अवधि के लिए जैसा कि उक्त एजीएम की सूचना में उल्लेख किया गया है, पारिश्रमिक सहित १ नवंबर, २०१८ से कंपनी के पूर्णकालिक रोजगार में कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री अनुज पोद्दार (डीआईएन :०१९०८००९) की जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।

इसके अलावा, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, मंडल ने ७ अगस्त, २०१९ को आयोजित अपनी बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन ७ अगस्त, २०१९ से ६ अगस्त, २०२४ तक लगातार ५ (पाँच) वर्षों की अवधि तक पद धारण करने के लिए गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक की श्रेणी में श्री शैलेश हरिभक्ति (डीआईएन : ००००७३४७) को कंपनी के मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया। श्री शैलेश हरिभक्ति २८ अगस्त, २०२० को आयोजित होने वाली कंपनी की आगामी एजीएम तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में पद संभालेंगे और तत्पश्चात उक्त एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगें। आगामी एजीएम आयोजित करने वाली सूचना में श्री शैलेष हरिभक्ति की संक्षिप्त रूपरेखा दी गई है।

मंडल का मानना है कि श्री शैलेश हरिभक्ति का दशकों के अनुभव से प्राप्त उनके समृद्ध ज्ञान के साथ उच्च कौशल और उनकी पेशेवर अखंडता कंपनी के लिए बहुत लाभप्रद और मूल्यवान होगी और इसलिए, मंडल स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की अनुशंसा करता है। इसके अलावा, श्री शैलेश हरिभक्ति अपने अनुभव के चलते अधिनियम की धारा १५० के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक द्वारा किए जाने वाले यथा आवश्यक ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षण की प्रयोज्यता से मुक्त हैं।

साथ ही, समीक्षा अंतर्गत वर्ष के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर, मंडल ने ७ अगस्त, २०१९ को आयोजित अपनी बैठक में एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों के अनुमोदन के अधीन १ नवंबर २०१९ से प्रभावी होने के साथ ५ (पाँच) वर्ष की अवधि के लिए श्री शेखर बजाज (डीआईएन : ०००८९३५८) की कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की, जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। तत्पश्चात, २३ दिसंबर, २०१९ को डाक मतदान के माध्यम से पारित एक विशेष प्रस्ताव द्वारा शेयरधारकों के अनुमोदन से, श्री शेखर बजाज को १ नवंबर, २०१९ से ५ (पाँच) वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक पुनर्नियुक्त किया गया, जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी के मंडल में ग्यारह (११) निदेशक थे, जिनमें से नौ (९) गैर-कार्यकारी निदेशक ("एनईडी") हैं जिनमें से दो (२) महिला निदेशक हैं जिनमें से एक (१) महिला स्वतंत्र निदेशक है। एनईडी मंडल की कुल सदस्य संख्या के ८१.८२% का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, उक्त नौ (९) एनईडी में से छह (६) स्वतंत्र निदेशक हैं जो मंडल की कुल सदस्य संख्या के ५४.५५% का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंडल की संरचना अधिनियम के प्रावधानों और साथ ही सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम १७ के भी अनुरूप है।

चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक

अधिनियम की धारा १५२ के प्रावधानों और कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, श्रीमती पूजा बजाज (डीआईएन : ०८२५४४५५) और श्री अनुज पोद्दार (डीआईएन : ०१९०८००९), आगामी एजीएम में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी निदेशक हैं और पात्र होने के नाते अपने आपको पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मंडल आगामी एजीएम में कंपनी के सदस्यों के विचार के लिए उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करता है। आगामी एजीएम आयोजित करने वाली सूचना में श्रीमती पूजा बजाज और श्री अनुज पोद्दार का संक्षिप्त प्रलेख दिया गया है।

स्वतंत्र निदेशक

कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अधिनियम की धारा १४९ (७) के अंतर्गत घोषणा की है कि वे अधिनियम की धारा १४९ (६) और विनियम १६(१)(बी) और सेबी सूचीकरण विनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत यथा निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम २५ (८) के संदर्भ में, स्वतंत्र निदेशकों ने इस बात की पुष्टि की है कि वे ऐसी किसी भी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं है, जो मौजूद है या यथोचित रूप से प्रत्याशित हो सकती है, जो वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय के साथ और किसी बाहरी प्रभाव के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को हानि पहुँचा सकती या प्रभावित कर सकती है। स्वतंत्र निदेशक पाँच वर्ष की निश्चित अवधि तक पद धारण करते हैं और चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) पाँचवा संशोधन नियम, २०१९ के नियम ६ (१) अंतर्गत यथा आवश्यक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के स्वतंत्र निदेशक डेटाबैंक में वैध पंजीकरण है।

मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक अधिनियम की धारा १४९ (६) (बी) और विनियम १६(१)(बी) और सेबी सूचीकरण विनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट स्वतंत्रता की शर्तों को पूरा करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर डाली गई हैं।

सेबी सूचीबद्धता विनियमों की आवश्यकता का पालन करते हुए, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों के लिए निदेशक के रूप में उनको अपनी भूमिका, अधिकारों और जिम्मेदारियों, कंपनी के कामकाज, उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी परिचालन करती है, व्यवसाय मॉडल, आदि से परिचित कराने के लिए परिचयकरण कार्यक्रम बना रखा है। कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में परिचयकरण कार्यक्रम के विवरण का वर्णन किया गया है और वही कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर भी उपलब्ध है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

समीक्षा अंतर्गत वर्ष के दौरान, श्री मंगेश पाटिल (एफसीएस ४७५२) ने ६ जनवरी, २०२० से प्रभावी होने के साथ कंपनी के सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में त्यागपत्र दे दिया। श्री मंगेश पाटिल के त्यागपत्र को देखते हुए नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अनुशंसा के आधार पर मंडल ने ६ जनवरी, २०२० को हुई बैठक में श्री अजय नागले (एसीएस ९८५५) को कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की और उन्हें ६ जनवरी, २०२० से प्रभावी होने के साथ कंपनी का प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नामित किया।

उपरोक्त के अलावा वर्ष के दौरान कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

मंडल की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष २०१९-२० के दौरान मंडल की पाँच (५) बैठकें हुईं थीं। बैठकों के बीच का अंतराल अधिनियम और सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर था। वित्तीय वर्ष २०१९-२० के दौरान हुई मंडल की बैठकों का ब्यौरा कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट का भाग है।

मंडल की समितियाँ

निदेशक मंडल की निम्नलिखित समितियाँ हैं :

१. लेखा परीक्षा समिति
२. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
३. हितधारकों की संबंध समिति
४. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
५. जोखिम प्रबंधन समिति
६. वित्त समिति
७. क्यूआईपी समिति
८. राइट इश्यू समिति; तथा
९. ऋणपत्र (डिबेंचर) समिति

समितियों का विवरण, उनकी रचना, बैठकों की संख्या और बैठकों में उपस्थिति के साथ कॉर्पोरेट प्रशासन के रिपोर्ट में प्रदान किया गया है जो कि इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

मंडल मूल्यांकन

अधिनियम के प्रावधानों और सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुसार, मंडल ने निदेशकों की व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिपुष्टि के माध्यम से अलग-अलग निदेशकों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन के साथ-साथ मंडल और मंडल की समितियों की कार्यप्रणाली का म ूल्यांकन किया है। कंपनी द्वारा जिस प्रकार मूल्यांकन किया गया था और मूल्यांकन मानदंडों को कार्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

निदेशक मंडल ने मूल्यांकन प्रक्रिया पर संतोष जताया है।

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक की नीति

निदेशक मंडल ने निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, वरिष्ठ प्रबंधन और कंपनी के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में ढांचा निर्धारित करने वाली नीति बनाई है ("नीति")। यह नीति व्याापक रूप से कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों (बैठक शुल्क और कमीशन के माध्यम से), प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, दर्शन और आधार निर्धारित करती है। यह नीति निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता को निर्धारित करने का मानदंड और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति और प्रदर्शन मूल्यांकन का मानदंड भी प्रदान करती है जिस पर नामांकन और पारिश्रमिक समिति और निदेशक मंडल द्वारा संभावित प्रत्याशियों पर कोई निर्णय लेने के दौरान विचार किया जाता है।

मंडल ने अधिनियम और सेबी सूचीकरण विनियमों में किए गए संशोधनों के साथ तालमेल बैठाने के लिए १९ जून, २०२० को हुई बैठक में उक्त नीति में बदलाव किए हैं।

उपरोक्त नीति अनुलग्नक एफ में दी गई है, जो इस रिपोर्ट का भाग है, और इसे कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर भी पोस्ट किया गया है।

जोखिम और आंतरिक नियंत्रण पर्याप्तता

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ इसके व्यवसाय की प्रकृति और इसके परिचालनों के आकार और जटिलताओं के अनुरूप है। नियमित रूप से सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा इन्हें परीक्षित और प्रमाणित किया जाता है और इनके अंतर्गत सभी कार्यालय, कारखाने और प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र आते हैं तथा इन पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों और अनुवर्तन कार्यवाहियों की सूचना लेखा परीक्षा समिति को दी जाती है। लेखा परीक्षा समिति कंपनी के आंतरिक नियंत्रण वातावरण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती है। लेखा परीक्षा अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करती है जिनमें और कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रणालियों को मजबूत बनाने से संबंधित लेखा परीक्षा अनुशंसाएँ भी शामिल हैं।

वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे एवं वे प्रभावी रूप से परिचालित हुए।

सेक्रेटरियल मानकों का अनुपालन

कंपनी ने भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ द्वारा जारी किए गए लागू साचिविक मानकों का पालन किया है।

धोखाधड़ी की सूचना

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी का कोई उदाहरण नहीं मिला है, जिसके लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों या साचिविक लेखा परीक्षकों को अधिनियम की धारा १४३ (१२) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत इसे कंपनी की लेखा परीक्षा समिति को सूचना देना आवश्यक था।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है और यह सुनिश्चित करने के लिए मंडल को जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण प्रक्रियाओं और आवधिक समीक्षा के संबंध में सूचित करने के लिए तंत्र स्थापित किया है कि कार्यकारी प्रबंधन उचित ढंग से तैयार किए गए ढांचे के माध्यम से जोखिम नियंत्रित करे।

लेखा परीक्षा समिति

मंडल ने ६ नवंबर, २०१९ को हुई अपनी बैठक में लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया और श्री शैलेश हरिभक्ति को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया। इसके बाद मंडल ने श्री शैलेश हरीभक्ति को ७ जनवरी, २०२० से प्रभावी होने के साथ समिति का अध्यक्ष चुना। इस समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री शैलेश हरिभक्ति, समिति के सदस्यों के रूप में डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी, डॉ राजेंद्र प्रसाद सिंह और श्री सिद्धार्थ मेहता, चार निदेशक हैं।

समीक्षा अंतर्गत वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की सभी अनुशंसाओं को मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। लेखा परीक्षा समिति के संबंध में अन्य ब्यौरों पर कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की गई है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षक रिपोर्ट

वैधानिक लेखा परीक्षक

३ अगस्त, २०१७ को आयोजित कंपनी की ७८वीं वार्षिक आम सभा ("७८ वी एजीएम") में सदस्यों ने पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए अर्थात ७८ वीं एजीएम से लेकर २०२२ में आयोजित होने वाली कंपनी की ८३वीं वार्षिक आम सभा के समापन तक कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स एस आर बी सी एंड कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार (आईसीएआई पंजीकरण संख्या ३२४९८२ई/ई३०००३) की प्रति वर्ष अंशधारकों द्वारा उनकी नियुक्ति के अनुसमर्थन के अधीन नियुक्ति की थी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा ७ मई, २०१८ को लागू किए गए कंपनी संशोधन अधिनियम, २०१७ के अनुसार, प्रत्येक एजीएम में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की पुष्टि किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी को मेसर्स एस आर बी सी एंड कंपनी एलएलपी से इस बात की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र मिला है कि वे कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक बने रहने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। लेखा परीक्षकों द्वारा अपने रिपोर्ट में दी गई कोई योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण नहीं है।

लागत लेखा परीक्षक

अधिनियम के अनुच्छेद १४८ के प्रावधानों, इसके अंतर्गत बने नियमों के साथ पठित, के अनुसार, कंपनी द्वारा इसकी उत्पादन गतिविधियों के संबंध में इसके द्वारा रखे गए लागत लेखा अभिलेख लेखा परीक्षित किए जाने के लिए आवश्यक हैं। मेसर्स आर. नानाभॉय एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण सं. ००००१०), लागत लेखाकार ने वर्ष के दौरान लागू व्यवसायों की लागत लेखा परीक्षा की है।

लेखा समिति की सिफारीश के आधार पर, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के लिए मेसर्स आर. नानाभॉय एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण सं. ००००१०), लागत लेखाकार, को लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। कंपनी को मेसर्स आर. नानाभॉय एंड कंपनी से इस बात की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र मिला है कि वे कंपनी के लागत लेखा परीक्षक बने रहने के लिए अयोग्य नही हैं।

लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक आम सभा में सदस्यों के समक्ष उनके सुधार हेतु रखना आवश्यक है। तदनुसार, मेसर्स. आर. नानाभॉय एंड कंपनी; लागत लेखा परीक्षक के देय पारिश्रमिक के लिए सदस्यों की संपुष्टि की माँग करने वाले एक प्रस्ताव को वार्षिक आम सभा के नोटिस में आइटम संख्या ५ पर शामिल किया गया है।

लागत लेखा परीक्षक के विवरण तथा वित्त वर्ष २०१८-१९ में उनके द्वारा संचालित लागत लेखा परीक्षा के पूर्ण विवरण नीचे दिए गए हैं :

आईसीडब्ल्यूए सदस्यता सं.	७४६४
फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. :	००००१०
पता:	जेर मेंशन, ७०, अगस्त क्रांति मार्ग, मुंबई - ४०० ०३६
लागत परीक्षा रिपोर्ट	वित्त वर्ष २०१८-१९
रिपोर्ट दर्ज करने की नियत तिथि	३० सितंबर २०१९
दर्ज करने की वास्तविक तिथि	०७ सितंबर २०१९

लागत अभिलेख

कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखा परीक्षा) नियम, २०१४ के साथ पठित अधिनियम की धारा १४८ के अनुसार, आपकी कंपनी को लागत अभिलेख बनाए रखना होता है और तदनुसार, ऐसे लेखा और अभिलेख बनाए रखे गए हैं।

साचिविक लेखा परीक्षक

मंडल ने अधिनियम की धारा २०४ के प्रावधानों और पठित उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अनुसार ३१ मार्च, २०२० को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए साचिविक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स अनंत बी. खमनकर एंड कंपनी; प्रैक्टीसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (सदस्यता क्रमांक एफसीएस ३१९८; सीपी नंबर १८६०) को नियुक्त किया है। प्रपत्र एमआर-३ में सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अनुलग्नक जी के रूप में दिया गया है और इस रिपोर्ट का भाग है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण नहीं है।

इस संबंध में जारी किए गए सेबी परिपत्रों के साथ पठित सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम २४ ए के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने सेबी विनियमों और उनके अंतर्गत

जारी किए गए परिपत्रों/मार्गदर्शनों के अनुसार सभी लागू अनुपालनों के लिए वित्तीय वर्ष २०१९-२० के लिए लेखा परीक्षा की है। मेसर्स अनंत बी. खमनकर एंड कंपनी; प्रैक्टीसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (सदस्यता क्रमांक एफसीएस ३१९८; सीपी नंबर १८६०) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट वित्त वर्ष की समाप्ति के ६० दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों में जमा किया गया है।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण

ए) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अदत्त/दावारहित लाभांश का अंतरण :

यथा संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि अधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, २०१६ ("आईईपीएफ नियम") के साथ पठित अधिनियम की धारा १२४ और १२५ के प्रावधानों के अनुसार ३१ मार्च, २०१२ को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित ₹ ११,६७,१६३.२० के अदत्त और/या दावा-रहित लाभांश का वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") में अंतरण किया गया।

बी) आईईपीएफ में शेयरों का अंतरण :

आईईपीएफ नियमों निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि अधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, २०१६ के साथ पठित अधिनियम की धारा १२४ के प्रावधानों के अनुसार, ₹ २ प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले १४,१९२ इक्विटी शेयरों, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान नहीं किया गया था, या इसके लिए सदस्यों द्वारा दावा नहीं किया गया था, को वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया। अंतरित किए गए शेयरों का विवरण आईईपीएफ के साथ-साथ कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का अर्जन व व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, २०१४ के नियम ८ के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद १३४(३)(एम) के अंतर्गत व्यक्त ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का अर्जन व व्यय को परिशिष्ट 'एच' के रूप में जोड़ा गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

मानव संसाधन तथा औद्योगिक संबंध

कंपनी को अपने कारोबार के सभी क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता, सक्षमता और समर्पण पर गर्व है। कंपनी लोगों को अपनी सबसे बड़ी परिसंपत्ति मानती है और इसलिए, प्रतिभा प्रबंधन और उत्तराधिकार नियोजन प्रथाओं, मजबूत निष्पादन प्रबंधन और अधिगम और प्रशिक्षण पहलों में यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रयास किया है कि कंपनी निरंतर प्रेरणादायक, मजबूत और विश्वसनीय नेतृत्व विकसित करे। अपने लोगों के कौशल और नेतृत्व विकास में निरंतर निवेश के अतिरिक्त, कंपनी ने कर्मचारी संलग्नता पहलों और अभियानों पर भी ध्यान केंद्रित किया है जिसका उद्देश्य श्रमबल के सभी स्तरों पर नवाचार और सहयोग की संस्कृति बढ़ाना है। इन पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की गई है जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

कंपनी के अपने कर्मचारियों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं।

पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा

कंपनी पर्यावरणीय रूप से स्वच्छ और सुरक्षित परिचालन के महत्व को लेकर सजग है। कंपनी की नीति इस प्रकार से परिचालन आवश्यक बनाती है कि सभी संबंधितों की सुरक्षा, पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए, कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक नीति बनाई और कार्यान्वित की है। स्थाई, अस्थाई या संविदात्मक सभी महिला कर्मचारी उपर्युक्त नीति के अंतर्गत आवरित हैं। उक्त नीति सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए कंपनी के आंतरिक पोर्टल पर अपलोड की गई है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है। उक्त अधिनियम का पालन करते हुए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना की गई है।

वित्तीय वर्ष २०१९-२० में कंपनी को यौन उत्पीड़न की शिकायतों के दो (२) मामले मिले थे और इन दोनों शिकायतों का वर्ष के दौरान निस्तारण कर दिया गया था और इसलिए ३१ मार्च, २०२० को कोई शिकायत लंबित नहीं थी।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, २०१४ के नियम ५ (१) के साथ पठित अधिनियम, की धारा १९७ (१२) के प्रावधानों के संदर्भ में पारिश्रमिक और अन्य विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण अनुलग्नक आई में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग हैं। अधिनियम की धारा १३६ के पहले परंतुक के संदर्भ में, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, २०१४ के नियम ५ (२) और (३) के अंतर्गत आवश्यक जानकारी को छोड़कर शेयरधारकों को रिपोर्ट और लेखा भेजा जा रहा है। उक्त सूचना को एजीएम सूचना के परिपत्र की तिथि से एजीएम की तिथि, यानी २८ अगस्त, २०२० तक legal@bajajelectricals.com पर कंपनी को लिखित में देकर इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का वक्तव्य

आपके निदेशक यह पुष्टी करते हैं कि :

(क) ३१ मार्च, २०२० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है, जिनमें सामग्री निर्गमन, यदि कोई हो, से संबंधित उपयुक्त वर्णन शामिल है।

(ख) उन्होंने ऐसी लेखा नीतियाँ चुनी हैं और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय एवं आकलन किए हैं, जो उपयुक्त एवं विवेकपूर्ण हों, जिससे वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति एवं उस अवधि के लिए कंपनी के नुकसानों का एक सत्यतापूर्ण एवं उचित दृष्टिकोण मिल सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी व अन्य अनियमि तताओं की पहचान व रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों के प्रबंधन हेतु समुचित एवं पर्याप्त रूप से ध्यान दिया है;

(घ) उन्होंने वार्षिक लेखा एक "गोइंग कंसर्न" आधार पर तैयार किए हैं;

(च) उन्होंने कंपनी द्वारा पालन किए जाने हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और कि इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा

(छ) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और कि इस तरह की प्रणालियाँ पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") एवं हरित पहल द्वारा आवंटित शिथिलता

लगातार जारी कोविड-१९ महामारी को देखते हुए, एमसीए ने, देखें इसका साधारण परिपत्र सं. १४/२०२०, १७/२०२० एवं २०/२०२० क्रमश: दिनांकित ८ अप्रैल, २०२०, १३ अप्रैल, २०२० एवं ५ मई, २०२० (इन्हें संयुक्त रूप से "परिपत्र" कहा गया है), किसी आम जगह पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या अन्य दृष्य-श्रव्य माध्यमों से वार्षिक साधारण सभा करने की अनुमति प्रदान की थी। इसके अलावा, एमसीए ने, देखें इन परिपत्रों को, शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्टों के मुद्रण एवं प्रेषण के बिना काम करने हेतु कहा था। इन परिपत्रों को देखते हुए और हरित पहल के अनुरूप प्रतिबद्धता रखते हुए और नवीन हरित पहलों का सृजन करने हेतु इससे भी आगे जाकर, कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट २०१९-२०, जिसके साथ ८१वीं एजीएम की सूचना भी है, की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं।

सराहना एवं आभार-पूर्ति

निदेशक हर स्तर के कर्मचारियों की उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सराहना करते हैं, जो कि कंपनी की समग्र प्रगति प्राप्त करने हेतु अत्यावश्यक है।

बोर्ड कंपनी को आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों, व्यापारिक सहभागियों और व्यापारिक भागीदारों के रूप में कंपनी से जुड़े अन्य लोगों से मिले सहायता और सहयोग की सराहना करता है। कंपनी उन्हें अपनी प्रगति में सहभागी के रूप में देखती है और कंपनी ने उनके साथ विकास प्रतिफलों को साझा किया है। कंपनी का प्रयास होगा कि लाभों की पारस्परिकता, एक-दूसरे के लिए सम्मान और साथ सहयोग के आधार पर, उपभोक्ता हितों के अनुरूप व्यापार के साथ मजबूत कड़ी का निर्माण और पोषण किया जाए। निदेशकगण सभी शेयरधारकों, ग्राहकों, विक्रेताओं, बैंकों, सरकार और नियामकीय प्राधिकरणों और स्टॉक एक्स्चेंजों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहते हैं।

निदेशकों को कोविड-१९ वैश्विक महामारी से हुई जीवन की क्षति के लिए खेद है और वे हर उस व्यक्ति के प्रति आभारी हैं और सम्मान व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस महामारी से लड़ने के लिए अपने जीवन और अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाला है।

अनुलग्नक

निम्नलिखित अनुलग्नक इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं :

क. लाभांश वितरण नीति - अनुलग्नक ए;

ख. सेबी सूचीकरण विनियमों की अनुसूची V के भाग ए की धारा २ ए के साथ पठित विनियम ३४ (३) और ५३ (एफ) के प्रावधानों के अनुसार लेनदेन का प्रकटीकरण - अनुलग्नक बी;

ग. सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट - अनुलग्नक "सी";

घ. वार्षिक विवरण का उद्धरण - अनुलग्नक "डी"

च. सहयोगियों / सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण - अनुलग्नक "इ";

छ. निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, वरिष्ठ प्रबंधन और कंपनी के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक की नीति - अनुलग्नक एफ;

ज. साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट - अनुलग्नक "जी";

झ. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय पर रिपोर्ट - अनुलग्नक "एच"; तथा

ट. कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, २०१४ के साथ पठित अधिनियम की धारा १९७ (१२) के अंतर्गत प्रकटीकरण - अनुलग्नक "आई"।

कृते तथा वास्ते
बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक मंडल

शेखर बजाज
चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर
DIN: ०००८९३५८

अनुज पोद्दार
एक्ज़िक्युटिव डायरेक्टर
DIN: ०१९०८००९

अनंत पुरंदर
प्रेसीडेंट व सीएफओ

अजय नागल
एक्ज़िक्युटिव वाइस प्रेसीडेंट तथा मुख्य- वैधानिक और कंपनी सचिव
ACS No.: ९८५५

मुंबई
१९ जून, २०२०

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

निदेशकगण (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") सिक्युरिटीज एवं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया की अनुसूची V के साथ पठित विनियम ३४ (३) के संदर्भ में ३१ मार्च, २०२० को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी का रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

> **"व्यापार निर्धनों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से किया जाना चाहिए,**
> **न कि केवल करोड़पति या अरबपति बनने के लिए।"**
> जमनालाल बजाज

कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी का सिद्धान्त :

नैतिक मूल्य कंपनी के प्रशासन सिद्धान्त की नींव हैं जो कंपनी के पिछले ८० वर्षों के अस्तित्व में कंपनी की संस्कृति का एक हिस्सा बन गए हैं। हमें एक ऐसी कंपनी में होने पर गर्व है, जिसके दूरदृष्टा संस्थापक ने इसकी नींव बहुत समय पहले सुशासन के लिए रखी थी और इसे अपने व्यवसाय का एक अभिन्न हिस्सा बनाया था। हम दृढ़तासे मानते हैं कि व्यापार में आमदनी और मुनाफे से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ तो है। और इसीलिए हममें से प्रत्येक को हम जो भी करते हैं उसमें अपना बेहतरीन प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए ताकि, हम न केवल प्रत्येक उपभोक्ता की जरूरतें पूरी कर सकें बल्कि उनकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा अच्छा कर सकें। इसी ने हमें सबसे अलग स्थान दिलाया हुआ है और शायद यही एक वजह है कि हम अपने उपभोक्ताओं के साथ एक खास रिश्ते का आनंद लेने के योग्य बने हैं। क्यों न हो, जब आप हर साधन के साथ अपना बेहतरीन देने का प्रयास करते हैं, तो वह नज़र आता ही है।

कॉर्पोरेट प्रशासन मूल्यों एवं नैतिक व्यापारिक आचरण के प्रति कटिबद्धता के बारे में है। हमारे काम हमारे मूल्यों और सिद्धांतों से शासित होते हैं, जिसे कंपनी में सभी स्तरों पर सशक्त बनाया जाता है। हम चीज़ों को सही तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसका म तलब यह है कि इस तरह से व्यवसायिक निर्णय लेना और काम करना जो कि नैतिकतापूर्ण हो और लागू कानूनों का पालन करते हुए हो।

कंपनी हितधारकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए अपने सभी सौदों में पूर्ण पारदर्शिता एवं जवाबदेही की आवश्यकता पर ज़ोर देती है। शासन संबंधी रूपरेखा संसाधनों के दक्षतापूर्वक उपयोग एवं प्रबंधन की जवाबदेही के लिए प्रेरित करती है। मंडल स्वयं को धनोपार्जन की सततता एवं जिम्मेदारी के लिए हितधारकों के विश्वास का संरक्षक समझता है और उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है।

प्रशासन संरचना

कंपनी की कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना इस प्रकार है :

निदेशक मंडल : मंडल को कंपनी के प्रबंधन, निर्देशन और कार्यप्रदर्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चूँकि इसकी प्राथमिक भूमिका प्रकृति से न्यासीय है, इसलिए मंडल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कंपनी के प्रबंधन के लिए नेतृत्व, रणनीतिक मार्गदर्शन, उद्देश्य और स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन द्वारा नैतिकता, पारदर्शिता और प्रकटीकरण का पालन किया जाए।

मंडल की समितियाँ : मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है, अर्थात, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति, हितधारकों की संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, वित्त समिति, ऋणपत्र (डिबेंचर) समिति, क्यूआईपी समिति और राइट्स इश्यू समिति। उक्त में से प्रत्येक समिति के लिए निश्चित ढांचे के भीतर काम करना अनिवार्य बनाया गया है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक : अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की प्राथमिक भूमिका कंपनी द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में मंडल का नेतृत्व करना है। वह कंपनी को विश्व-स्तरीय संगठन में बदलने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य बातों के साथ, वह मंडल के कामकाज के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि अन्य सभी प्रासंगिक मुद्दों को मंडल के समक्ष रखा जाए और सभी निदेशकों को मंडल की बैठकों में उठाए गए प्रासंगिक मुद्दों पर अपना विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वे मंडल के अन्य सदस्यों के साथ कंपनी की रणनीति भी तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं।

कार्यकारी निदेशक : मंडल और कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में, कार्यकारी निदेशक द्वारा मंडल अनुमोदित दिशानिर्देशों और ढांचे के भीतर कंपनी के व्यवसायों के रणनीतिक प्रबंधन में योगदान दिया जाता है। वह व्यवसाय के रणनीतिक प्रबंधन और कंपनी के कार्यों की समग्र जिम्मेदारी लेते हैं जिसमें कंपनी की प्रशासन प्रक्रियाएँ और शीर्ष प्रबंधन की प्रभावशीलता शामिल है।

स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर-कार्यकारी निदेशक : गैर-कार्यकारी निदेशक मंडल की बैठकों में उठाए गए विभिन्न मुद्दों जैसे कि व्यवसाय रणनीतियों के निर्माण, प्रदर्शनों की निगरानी, आदि पर स्वतंत्र निर्णय प्रदान करके मंडल का कामकाज संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यकारी समिति : कार्यकारी समिति का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करते हुए मंडल द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों और ढाँचे के भीतर कंपनी के व्यवसायों का रणनीतिक प्रबंधन करना है कि महत्वपूर्ण मामलों पर मंडल को उपयुक्त सूचना देने के लिए प्रभावी प्रणालियाँ विद्यमान हों। कार्यकारी समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है और इसके सदस्यों के रूप में इसमें व्यवसायिक और कार्यात्मक प्रमुख हैं, जो कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन की देखभाल करते हैं।

निदेशक मंडल

कंपनी के निदेशक मंडल में ऐसे श्रेष्ठ एवं प्रतिष्ठित लोग होते हैं जो ऐसे आवश्यक कौशल, सक्षमता और विशेषज्ञता लाते हैं, जिससे वे मंडल एवं उसकी समितियों में प्रभावी योगदान दे सकते हैं।

मंडल द्वारा व्यवसाय एवं हितधारकों के हित का ध्यान रखा जाता है। गैर-कार्यकारी निदेशक, जिनमें स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, वे औद्योगिक, निर्माण, सामान्य निगम प्रबंधन, वित्त, विधि, मीडिया, निगमित रणनीति, तकनीक, विपणन एवं अन्य संबद्ध पृष्ठभूमि के भलीभाँति अर्हता-प्राप्त, अनुभवी एवं जाने-माने लोग होते हैं। मंडल सदस्य मंडल एवं समिति बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और वे अन्य के साथ-साथ व्यवसाय, शासन एवं अनुपालन के विभिन्न पहलुओं पर प्रबंधन को मूल्यवान मार्गदर्शन उपलब्ध करवाते हैं। मंडल का मार्गदर्शन दूरदर्शिता प्रदान करता है, पारदर्शिता को उन्नत बनाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया का मूल्य संवर्द्धन करता है। कंपनी वरिष्ठ प्रबंधन दल के साथ संयोजन में मंडल द्वारा प्रबंधित होती है।

किसी भी निदेशक की आयु पचहत्तर (७५) वर्ष से अधिक नहीं हुई है।

३१ मार्च, २०२० को मंडल की संरचना एवं श्रेणी

सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम १७(१)(बी) के अनुसार, जहाँ अध्यक्ष कार्यकारी या कोई प्रवर्तक होता है, कंपनी के मंडल में कम से कम आधा हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों से बना होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए मंडल की संरचना और सुदृढ़ता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है कि यह वैधानिक और साथ ही साथ व्यवसायिक आवश्यकताओं के साथ सरेखित रहे।

३१ मार्च २०२० के अंत में निदेशक मंडल में ग्यारह (११) निदेशक शामिल थे, अर्थात एक (१) कार्यकारी निदेशक - प्रवर्तक, एक (१) कार्यकारी निदेशक - गैर प्रवर्तक, तीन (३) गैर-कार्यकारी निदेशक - एक महिला निदेशक सहित प्रवर्तक, एक (१) गैर-कार्यकारी निदेशक - स्वतंत्र महिला निदेशक, और पाँच (५) गैर-कार्यकारी निदेशक - स्वतंत्र निदेशक तथा तदनुसार, उनकी निम्नलिखित संरचना हैः

निदेशकों की श्रेणी	निदेशकों की संख्या	%
कार्यकारी निदेशक	२	१८.१८
गैर-कार्यकारी निदेशक - गैर- स्वतंत्र	३	२७.२७
गैर-कार्यकारी निदेशक - स्वतंत्र	६	५४.५५

मंडल का अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक होता है। स्वतंत्र निदेशक मंडल की कुल सदस्य संख्या के आधे से भी अधिक हैं।

मंडल की विविधता

पिछले कई सालों से कंपनी के पास अपने मंडल में निदेशकों के रूप में सेवाएँ देने के लिए विविध क्षेत्रों के श्रेष्ठ व्यक्तियों के होने का सौभाग्य मिलता रहा है। सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुरूप, कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति, अनुभव, ज्ञान, दृष्टिकोण, पृष्ठभूमि, लिंग, आयु एवं संस्कृति की दृष्टि से मंडल की विविधता सुनिश्चित करती है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर प्रदर्शित है।

निदेशकों की रूपरेखा

मंडल के सभी सदस्यों की संक्षिप्त रूपरेखा कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर प्रदर्शित है।

मंडल ने अपने व्यवसाय एवं उद्योग के संदर्भ में निम्नांकित कौशलों की पहचान की है, जो मंडल के साथ उपलब्ध हैं :

निदेशक का नाम	प्रमुख कौशल/दक्षताएँ / विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता
श्री शेखर बजाज	उद्योगपति, विद्युत उपभोक्ता टिकाऊ उद्योग क्षेत्र, बड़े व्यवसाय समूह का प्रबंधन करने का अनुभव, व्यवसाय रणनीति और कॉर्पोरेट प्रबंधन
श्री अनुज पोद्दार	उपभोक्ता और अन्य उद्योगों, व्यवसाय रणनीति और कॉर्पोरेट प्रबंधन में मजबूत व्यवसायिक अनुभव वाले सनदी लेखाकार
श्री मधुर बजाज	उद्योगपति, बड़े औद्योगिक समूह का प्रबंधन करने का अनुभव
श्री राजीव बजाज	उद्योगपति, बड़े औद्योगिक समूह का प्रबंधन करने का अनुभव
श्रीमती पूजा बजाज	मजबूत वाणिज्यिक कुशाग्रता
श्री हर्ष वर्धन गोयंका	उद्योगपति, बड़े व्यवसाय समूह का प्रबंधन करने का अनुभव
डॉ राजेंद्र प्रसाद सिंह	बड़े औद्योगिक समूह का प्रबंधन करने का अनुभव
डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी	अकादमिक, शिक्षा
श्री सिद्धार्थ मेहता	कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक कानूनों, मुकदमेबाजी और मध्यस्थता में भारत भर में और अन्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अधिवक्ता
श्री मुनीश खेत्रपाल	वैश्विक बाजारों में व्यापक नेतृत्व अनुभव रखने वाले प्रौद्योगिकी व्यवसायिक
श्री शैलेश हरिभक्ती	लेखा-परीक्षण, कर एवं जोखिम परामर्शी सेवाओं में विशेषज्ञता

मंडल की बैठकें

मंडल व्यवसाय की रणनीतियों/नीतियों पर चर्चा करने और निर्णय लेने और कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए नियमित अंतराल पर बैठक करता है। मंडल की बैठकें पूर्व निर्धारित होती हैं और मंडल की बैठकों का अस्थाई वार्षिक कैलेंडर अग्रिम में निदेशकों को भेजा जाता है ताकि तदनुसार उन्हें अपने कार्यक्रम की योजना बनाने में सुविधा मिल सके। व्यवसायिक अनिवार्यताओं की स्थिति में, संचलन प्रस्तावों के माध्यम से मंडल की स्वीकृति ली जाती है। संचलन प्रस्तावों पर अनुवर्ती मंडल की बैठक में चर्चा की जाती है।

नोटिस और प्रासंगिक टिप्पणियों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही विस्तृत कार्यसूची अग्रिम में प्रत्येक निदेशक को भेजी जाती है और असाधारण मामलों में मंडल की स्वीकृति से बैठक में रखी जाती है। इससे मंडल द्वारा समय पर और सूचित निर्णय सुनिश्चित होता है। मंडल बजट/लक्ष्यों की तुलना में कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करता है।

मंडल की बैठकों की संख्या

वर्ष २०१९-२० के दौरान, मंडल पाँच बार मिला है, यानी २२ मई, २०१९, ७ अगस्त, २०१९, ६ नवंबर, २०१९, ६ जनवरी, २०२० एवं ४ फरवरी, २०२०. किन्हीं दो बैठकों के बीच का अंतराल एक सौ बीस दिनों से कम का रहा है।

निदेशकों का उपस्थिति अभिलेख :

वर्ष २०१९-२० के लिए मंडल की संरचना एवं निदेशकों का उपस्थिति अभिलेख :

निदेशक का नाम	श्रेणी	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	उपस्थिति वाली मंडल बैठकों की संख्या	क्या पिछली एजीएम में उपस्थिति रही?
श्री शेखर बजाज	अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, कार्यकारी	मधुर बजाज के भाई, पूजा बजाज के ससुर	५/५	हाँ
श्री अनुज पोद्दार	कार्यकारी निदेशक	-	५/५	हाँ
श्री मधुर बजाज	गैर-कार्यकारी	शेखर बजाज के भाई	४/५	हाँ
श्री राजीव बजाज*	गैर-कार्यकारी	-	२/५	नहीं
श्रीमती पूजा बजाज	गैर-कार्यकारी	शेखर बजाज की बहू	५/५	हाँ
श्री हर्ष वर्धन गोयंका	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र	-	३/५	नहीं
डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र	-	५/५	हाँ
डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र	-	३/५	हाँ
श्री सिद्धार्थ मेहता	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र	-	५/५	हाँ
श्री मुनीश खेत्रपाल	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र	-	४/५	हाँ
श्री शैलेश हरिभक्ति	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र	-	४/४	ला.न.

*मंडल में अतिरिक्त गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में दिनांक २२ मई, २०१९ से प्रभावी होकर नियुक्त, दिनांक ७ अगस्त, २०१९ को आयोजित एजीएम में शेयरधारकों द्वारा विनियमित।

**शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होकर निरंतर ५ (पाँच) वर्ष की अवधि के लिए दिनांक ७ अगस्त, २०१९ से कंपनी के मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त।

मंडल के समक्ष रखी गई जानकारी

कंपनी मंडल और मंडल की समितियों को लागू और प्रासंगिक सीमा तक सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची II के भाग ए के साथ पठित विनियम १७ में यथा निर्धारित जानकारी प्रदान करती है। ऐसी जानकारी या तो संबंधित बैठकों से पहले अग्रिम में कार्यसूची के भाग के रूप में या बैठकों के दौरान प्रस्तुतियों और चर्चाओं के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है।

बैठक पश्चात तंत्र

मंडल/समिति की बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय संबंधित विभाग/प्रभाग को सूचित किए जाते हैं।

मंडल की सहायता

कंपनी सचिव मंडल की बैठकों में भाग लेते हैं और लागू कानूनों और नियंत्रणों के अनुपालन पर मंडल को सलाह देते हैं।

मंडल के कर्तव्य एवं प्रकार्य

निदेशक मंडल के कर्तव्यों का सेबी सूचीबद्धता विनियमों, अधिनियम की धारा १६६ और कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") के अनुसूची IV (अनुसूची IV विशेष रूप से स्वतंत्र निदेशकों के लिए है) में उल्लेख किया गया है। निदेशक मंडल के बीच जिम्मेदारियों और प्राधिकार का स्पष्ट सीमांकन है।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

समीक्षा अंतर्गत वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशक अग्रांकित पर चर्चा के लिए ३१ मार्च, २०२० को परस्पर मिले : (१) गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं समग्र रूप से निदेशक मंडल के प्रदर्शन का मूल्यांकन; (२) कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन का मूल्यांकन; (३) मंडल के लिए अपने कर्त्तव्यों का प्रभावी एवं उपयुक्त निर्वहन करने हेतु आवश्यक प्रबंधन व मंडल के बीच सूचनाओं के प्रवाह की गुणवत्ता, विषय-वस्तु एवं समय-सीमाओं का मूल्यांकन; एवं (४) अन्य संबंधित मसले। इस बैठक में तीन स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

स्वतंत्र निदेशक का त्याग-पत्र

समीक्षा अंतर्गत इस वर्ष के दौरान, कंपनी के मंडल के किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने त्याग-पत्र नहीं दिया।

मंडल का मत

मंडल एतद् द्वारा पुष्टि करता है कि उसके मत में, मंडल के स्वतंत्र निदेशकों ने सेबी सूचीकरण विनियमों एवं अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया है, और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। अधिनियम में उपलब्ध करवाए अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के औपचारिक पत्र जारी किए गए हैं और उन्हें कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर प्रकट किया गया है।

समितियों की निदेशकता एवं सदस्यता

३१ मार्च, २०२० को निदेशकों की संख्या/निदेशकों के समिति पद :

निदेशक का नाम	निदेशक			सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध सार्वजनिक मर्यादित कंपनियों में समिति पद	
	इक्विटी सूचीबद्ध कंपनियों में	असूचीबद्ध सार्वजनिक मर्यादित कंपनियों में	निजी मर्यादित कंपनियों में	सदस्य के रूप में (अध्यक्ष के रूप में शामिल)	अध्यक्ष के रूप में
श्री शेखर बजाज	३	४	५	३	१
श्री अनुज पोद्दार	१	१	-	-	-
श्री मधुर बजाज	५	-	४	-	-
श्री राजीव बजाज	५	-	३	-	-
श्रीमती पूजा बजाज	१	-	-	१	१
श्री हर्ष वर्धन गोयंका	५	२	२	-	-
डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह	३	३	१	२	-
डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी	४	१	२	८	२
श्री सिद्धार्थ मेहता	३	-	२	३	१
श्री मुनीश खेत्रपाल	१	-	-	-	-
श्री शैलेश हरिभक्ति	७	३	९	१०	५

टिप्पणी : इनमें से कोई भी निदेशक एक ही समय में बीस कंपनियों से अधिक में एक निदेशक के रूप में, जिसमें वैकल्पिक निदेशक भी शामिल है, कार्यालय नहीं रखता/रखती है। इनमें से किसी के पास भी दस से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशकता नहीं है। सार्वजनिक कंपनियों की सीमा की गणना के लिए निजी कंपनियों की निदेशकता, जो कि या तो धारकता हो या किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी, को शामिल किया गया है, और निष्क्रिय कंपनियों में निदेशकता को बाहर रखा गया है। किसी भी स्वतंत्र निदेशक के पास कोई वैकल्पिक निदेशकता नहीं है।

प्राप्त घोषणाओं के अनुसार, इनमें से कोई भी निदेशक सात से अधिक इक्विटी सूचीबद्ध कंपनियों में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवाएँ प्रदान नहीं करता/करती है। इसके अलावा, कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक तीन से अधिक इक्विटी सूचीबद्ध कंपनियों में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवाएँ प्रदान नहीं करता/करती है और वास्तव में एक एकल सत्ता के रूप में भी नहीं।

इनमें से कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में, जिनमें वह निदेशक था/थी, दस से अधिक समितियों में सदस्य नहीं था/थी, न ही पाँच से अधिक समितियों में अध्यक्ष था/थी।

उन समितियों, जिन पर एक निदेशक सेवाएँ दे सकता/सकती है, की सीमा पर विचार करने के उद्देश्य से, उन सभी सार्वजनिक मर्यादित कंपनियों, चाहे वे सूचीबद्ध हों या नहीं, को शामिल किया गया है, और अन्य सभी कंपनियों, जिनमें निजी मर्यादित कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ और अधिनियम के अनुच्छेद ८ के अंतर्गत कंपनियाँ शामिल हैं, को बाहर रखा गया है। समिति पदों की गणना के उद्देश्य से केवल लेखा-परीक्षण समिति एवं हितधारक संबंध समिति पर ही विचार किया गया है।

इक्विटी सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशकता

उन इक्विटी सूचीबद्ध कंपनियों के नाम, जहाँ ३१ मार्च, २०२० को कंपनी के निदेशकों की निदेशकता रही थी।

निदेशक का नाम	सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम	श्रेणी
श्री शेखर बजाज	ए) बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निदेशक, कार्यकारी
	बी) बजाज ऑटो लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र
	सी) हर्क्यूलस हॉइस्ट्स लिमिटेड	अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र
श्री अनुज पोद्दार	ए) बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	कार्यकारी
श्री मधुर बजाज	ए) बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र
	बी) बजाज ऑटो लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र
	सी) बजाज होल्डिंग्स एंड इंवेस्टमेंट लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र
	डी) बजाज फिनसर्व लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र
	ई) बजाज फाइनेंस लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र
श्री राजीव बजाज	ए) बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र
	बी) बजाज ऑटो लिमिटेड	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यकारी
	सी) बजाज फिनसर्व लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र
	डी) बजाज फाइनेंस लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र
	ई) बजाज होल्डिंग्स एंड इंवेस्टमेंट लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र

निदेशक का नाम	सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम	श्रेणी
श्रीमती पूजा बजाज	ए) बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र
श्री हर्ष वर्धन गोयंका	ए) बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र
	बी) आरपीजी लाइफ साइंसेस लिमिटेड	अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र
	सी) सीएट लिमिटेड	अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र
	डी) केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड	अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र
	ई) ज़ेन्सर टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र
डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह	ए) बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र
	बी) टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र
डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी	ए) बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र
	बी) युनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र
	सी) क्लेरिएंट कैमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र
	डी) कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र
श्री सिद्धार्थ मेहता	ए) बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र
	बी) टीसीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र
	सी) इंडो काउंट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र
श्री मुनीश खेत्रपाल	ए) बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र
श्री शैलेश हरिभक्ति	ए) बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	अतिरिक्त गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र
	बी) टोरेन्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र
	सी) एसीसी लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र
	डी) अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र
	ई) ब्लू स्टार लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र
	एफ) फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र
	जी) एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड	गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र

निदेशकों के लिए डीएंडओ बीमा

कंपनी ने अपने सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन सदस्यों के लिए ऐसी मात्रा में और ऐसे जोखिमों के लिए, जैसा कि मंडल द्वारा निर्धारित किया गया है, निदेशक एवं अधिकारी बीमा (डीएंडओ) लिया है।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचयकरण कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के समय, उन्हें औपचारिक नियुक्ति पत्र दिया जाता है, जो अन्य बातों के साथ कंपनी के निदेशक के रूप में उनसे अपेक्षित भूमिकाओं, कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। अधिनियम, सेबी सूचीबद्धता विनियम और अन्य विभिन्न संविधियों के अंतर्गत निदेशकों से उनसे अपेक्षित अनुपालनों का भी विस्तार से वर्णन किया जाता है और पुष्टीकरण प्राप्त की जाती है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी कंपनी के परिचालनों से परिचित कराने के लिए नव नियुक्त निदेशक के साथ आमने-सामने की चर्चा आयोजित करते हैं। इसके अलावा, चालू आधार पर मंडल/समिति की बैठक की कार्यसूची के भाग के रूप में, स्वतंत्र निदेशकों को नियमित रूप से विभिन्न मामलों पर प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं जिसमें अन्य बातों के साथ कंपनी और उसकी सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के परिचालन, औद्योगिक और नियामकीय अद्यतन जानकारी, रणनीति, वित्त, जोखिम प्रबंधन ढांचा, विभिन्न संविधियों के अंतर्गत आईडी की भूमिका, अधिकार, जिम्मेदारियाँ और अन्य प्रासंगिक मामले शामिल होते हैं। निदेशकों के लिए परिचयकरण कार्यक्रम का विवरण कंपनी की वेबसाइट, अर्थात, www.bajajelectricals.com पर उपलब्ध है।

प्रशासन संहिताएँ

व्यवसाय आचरण संहिता और आचार नीति

कंपनी ने व्यवसाय आचरण संहिता और आचार नीति ("संहिता") अपनाई है। यह निदेशक मंडल और कंपनी के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। निदेशक मंडल और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों के लिए इस संहिता के वार्षिक अनुपालन की पुष्टि करना आवश्यक है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का घोषणा-पत्र इस रिपोर्ट के अंत में रखा गया है। यह संहिता निदेशकों और कर्मचारियों से ईमानदारी से, निष्पक्षतापूर्वक, नैतिक रूप से और अखंडता के साथ कार्य करने, अपना आचरण व्यवसायिक, विनम्र और सम्मानजनक बनाए रखने की माँग करती है। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर प्रदर्शित है।

हितों के टकराव पर प्रकटीकरण

प्रत्येक निदेशक द्वारा वार्षिक आधार पर कंपनी को अध्यक्ष सहित अन्य कंपनियों में मंडल और समिति पदों के बारे में सूचित किया जाता है जिन पर वह असीन है और वर्ष के दौरान परिवर्तनों को सूचित किया जाता है। मंडल के सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितों के टकराव से बचते हैं। मंडल के सदस्य किसी भी चर्चा में भाग लेने और लेनदेन में मतदान से अपने आपको प्रतिबंधित करते हैं जिनसे उनका संबंध या जिनमें उनका हित होता है।

इनसाइडर ट्रेडिंग संहिता

कंपनी ने सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५ ("पीआईटी विनियम") के अनुसार 'पदनामित व्यक्तियों द्वारा ("संहिता") व्यापार के नियमन, निगरानी और सूचना के लिए आंतरिक आचरण संहिता' अपनाई है। यह संहिता प्रवर्तकों, प्रवर्तक समूह के सदस्यों, सभी निदेशकों और ऐसे पदनामित कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी कंपनी से संबंधित अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच होने की उम्मीद होती है। कंपनी सचिव उक्त पीआईटी विनियमों के पालन की निगरानी हेतु अनुपालन अधिकारी होता है। कंपनी ने पीआईटी विनियमों का अनुपालन करते हुए 'अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) के उचित प्रकटीकरण के लिए आचरण और प्रक्रिया संहिता' भी तैयार की हैं।

यह संहिता कंपनी की वेबसाइट, अर्थात, www.bajajelectricals.com पर प्रदर्शित है।

मंडल की समितियाँ

निदेशक मंडल ने विशिष्ट क्षेत्रों और गतिविधियों से पेश आने के लिए मंडल समितियों का गठन किया है जिनसे कंपनी संबंध रखती है और जिनके लिए सावधानीपूर्ण समीक्षा की आवश्यकता होती है। मंडल समितियों का गठन मंडल की स्वीकृति से किया जाता है और वे अपनी संबंधित सनदों के अंतर्गत कार्य करती हैं। दिन-प्रतिदिन के मामलों और कंपनी के प्रशासन के समग्र प्रबंधन में ये समितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मंडल समितियाँ नियमित अंतराल पर बैठकें करती हैं और मंडल द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को संपादन करने के लिए आवश्यक कदम उठाती हैं। समिति की बैठकों का कार्यवृत्त टिप्पणी करने के लिए मंडल के सामने रखा जाता है।

(क) लेखा परीक्षा समिति

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन की प्रक्रिया और आंतरिक नियंत्रणों का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संरचना, गणपूर्ति, शक्तियाँ, भूमिकाएँ और कार्यक्षेत्र अधिनियम की धारा १७७ और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम १८ के प्रावधानों के अनुसार हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के मंडल ने देखें इसके परिपत्र के माध्यम से पारित इसके प्रस्ताव दिनांकित ६ नवंबर, २०१९, ने समिति के सदस्य के रूप में श्री शैलेश हरिभक्ती को शामिल करके लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है। मंडलने तत्पश्चात् ६ जनवरी, २०२० को आयोजित अपनी बैठक में श्री शैलेश हरिभक्ती को समिति का अध्यक्ष चुना।

इस रिपोर्ट की तिथि को, लेखा परीक्षा समिति में (चार) ४ निदेशक : अध्यक्ष के रूप में श्री शैलेश हरिभक्ती और इसके सदस्य के रूप में डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह और श्री सिद्धार्थ मेहता शामिल थे। लेखा परीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर हैं और वित्त, कराधान, अर्थशास्त्र, कानूनी, जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। यह समिति अपनी संदर्भ की शर्तों के अनुसार कार्य करती है जो इसका प्राधिकार, जिम्मेदारी और प्रतिवेदन कार्य परिभाषित करते हैं। कंपनी सचिव द्वारा लेखा परीक्षा समिति के संयोजक के रूप में कार्य किया जाता है।

बैठकें और उपस्थिति

वित्त वर्ष २०१९-२० के दौरान लेखा परीक्षा समिति की छ (६) बार बैठक हुई। दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल १२० दिनों से अधिक का नहीं था। समिति की २२ मई, २०१९, ७ अगस्त, २०१९, ६ नवंबर, २०१९, ६ जनवरी, २०२०, ४ फरवरी, २०२० और २६ मार्च, २०२० को बैठक हुई थी। सभी बैठकों में अपेक्षित गणपूर्ति उपस्थित थी। लेखा परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ७ अगस्त, २०१९ को आयोजित कंपनी की अंतिम एजीएम में उपस्थित थे।

लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की उपस्थिति :

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	पद	श्रेणी	बैठकों में उपस्थिती की संख्या
१.	श्री शैलेश हरिभक्ती*	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	३/३
२.	डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	४/६
३.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	५/६
४.	श्री सिद्धार्थ मेहता	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	६/ ६

**६ नवंबर २०१९ से प्रभावी होने के साथ लेखा परीक्षा समिति के सदस्य नियुक्त, तथा ७ जनवरी २०२० से प्रभावी होने के साथ लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष*

लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तें और कार्य

जैसा कि नीचे बताया गया है, लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तें सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम १८ और अधिनियम की धारा १७७ में जो अधिदेशित है, उसके अनुरूप हैं।

संदर्भ की शर्तें :

१. कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया की देख-रेख और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण;

२. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश;

३. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किन्हीं अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति;

४. निम्नलिखित के विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन के लिए मंडल को प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना :

    क. अधिनियम के खंड १३४ के उप-खंड ३ की धारा (सी) के संदर्भ में मंडल के रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक के उत्तरदायित्व वक्तव्य में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले।

    ख. लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण।

ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियाँ।

घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

च. सूचीबद्धता और वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।

छ. किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण।

ज. प्रारूप लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय।

५. वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से, असूचीबद्ध सहायक कंपनी (कंपनियों) द्वारा किए गए निवेशों सहित अनुमोदन के लिए मंडल को प्रस्तुत करने से पहले त्रैमासिक वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा;

६. इश्यू (पब्लिक इश्यू, राईट्स इश्यू, प्रीफरेन्शियल इश्यू आदि) के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/सूचना में बताए गए उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए फंडों का विवरण और सार्वजनिक या राइट इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना और मंडल को इस मामले में कदम उठाने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करना;

७. लेखा परीक्षा की स्वतंत्रता और संपादन, और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी;

८. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या कोई अनुवर्ती संशोधन;

९. अंतर-कंपनी ऋण और निवेश की संवीक्षा;

१०. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहाँ भी यह आवश्यक हो;

११. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

१२. सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ समीक्षा;

१३. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की भर्ती और विभाग की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता सहित आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य, यदि कोई है, की पर्याप्तता की समीक्षा, संरचना आच्छादन और आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति की रिपोर्टिंग;

१४. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष की आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई;

१५. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा जिसमें संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या महत्वपूर्ण प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता है और मंडल को मामले की सूचना देना;

१६. लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के संबंध में लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा के साथ-साथ चिंता का कोई भी क्षेत्र पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा बाद की चर्चा;

१७. जमाकर्ताओं, ऋणपत्र धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में महत्वपूर्ण चूक के कारणों की जाँच-पड़ताल;

१८. व्हिसिल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा;

१९. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का मूल्यांकन करने के बाद सीएफओ (यानी, पूर्णकालिक वित्त निदेशक या वित्त प्रकार्य की अध्यक्षता करने वाले या उक्त प्रकार्य का निर्वहन करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति) की नियुक्ति की स्वीकृति;

२०. लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में उल्लेखित कोई अन्य कार्य करना।

२१. १ अप्रैल २०१९ को वर्तमान ऋणों/अग्रिमों/निवेशों सहित सहायक कंपनी (कंपनियों) में ऋणों, अग्रिमों या दोनों के उपयोग की समीक्षा, जो ₹ १०० करोड़ या सहायक कंपनी के परिसंपत्ति आकार के १०% से अधिक न हो, जो भी कम हो।

लेखा परीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करती है :

१. प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों के विश्लेषण की;

२. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेनों के विवरण (लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित अनुसार) की;

३. प्रबंधन पत्रों/सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण दुर्बलताओं के पत्रों की;

४. आंतरिक नियंत्रण दुर्बलताओं से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की;

५. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति,पदच्युति और पारिश्रमिक की शर्तों की; तथा

६. विचलनों के विवरण की :

अ. सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम ३२ (१) के संदर्भों में शेयर बाजार (बाजारों) को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी के रिपोर्ट, यदि लागू हो, सहित विचलन(नों) के त्रैमासिक विवरण की; तथा

ब. सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम ३२ (७) के संदर्भों में प्रस्ताव-पत्र/विवरणिका/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों से भिन्न, उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त निधियों के वार्षिक विवरण की।

७. वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, २०१५ के विनियम ९ के प्रावधानों के अनुपालन की और सत्यापित करती है कि आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही हैं।

आंतरिक नियंत्रण और नियंत्रण प्रक्रियाएँ

कंपनी अपनी आंतरिक नियंत्रणों और प्रक्रियाओं की मजबूती में निरंतर निवेश करती है। लेखा परीक्षा समिति वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के लिए विस्तृत लेखा परीक्षा योजना तैयार करती है। आंतरिक लेखा परीक्षकगण लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेते हैं और लेखा परीक्षा समिति को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करते हैं और भविष्य के लिए रोड मैप प्रदान करते हैं।

(ख) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

३१ मार्च, २०२० को नामांकन और पारिश्रमिक समिति में तीन (३) निदेशक, यानी : अध्यक्ष के रूप में डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी और इसके सदस्य के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह और श्री सिद्धार्थ मेहता शामिल थे। १० जून २०२० को, मंडल द्वारा मंडल के अध्यक्ष, श्री शेखर बजाज को समिति के सदस्य के रूप में पदासीन करके समिति को पुनर्गठित किया गया था। कंपनी सचिव समिति के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं।

बैठकें और उपस्थिति

वित्त वर्ष २०१९-२० के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की चार (४) बार अर्थात २२ मई २०१९, ७ अगस्त २०१९, ६ नवंबर २०१९ तथा ६ जनवरी, २०२० को बैठकें हुई थी। सभी बैठकों में अपेक्षित गणपूर्ति उपस्थित थी। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष ७ अगस्त, २०१९ को आयोजित कंपनी की अंतिम एजीएम में उपस्थित थे।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की उपस्थिति:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पद	श्रेणी	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
१.	डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	३/४
२.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	४/४
३.	श्री सिद्धार्थ मेहता	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	४/४

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संदर्भ की शर्तें और कार्य

निम्नानुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की व्यापक शर्तें अधिनियम के अनुच्छेद १७८ एवं सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम १९ के अनुरूप हैं।

संदर्भ की शर्तें

१. उन व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने की योग्यता रखते हैं और निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार जो वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकते हैं, मंडल को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफ़ारिश करना, और मंडल द्वारा, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किए जाने वाले मंडल, उसकी समितियों, अध्यक्ष और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के प्रभावी मूल्यांकन का तरीका निर्दिष्ट किया जाएगा और उसके कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा की जाएगी।

२. योग्यताओं, सकारात्मक गुणों और निदेशक की स्वतंत्रता के लिए मानदंड प्रतिपादित करना और मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक से संबंधित एक पॉलिसी की सिफारिश करना;

३. पॉलिसी प्रतिपादित करते समय यह निश्चित करना कि -

    अ. पारिश्रमिक का स्तर और संयोजन यथोचित है और कंपनी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक उत्कृष्ट निदेशकों को आकर्षित करने, प्रतिधारण करने और प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है;

    ब. पारिश्रमिक से प्रदर्शन का संबंध स्पष्ट है और उचित प्रदर्शन कीर्तिमानों को पूरा करता है; और

    क. निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए पारिश्रमिक में स्थिर और प्रोत्साहन वेतन के बीच का संतुलन शामिल है जो कंपनी और उसके लक्ष्यों के संचालन के लिए उचित लघु और लम्बी अवधि के प्रदर्शन लक्ष्यों को दर्शाता है।

४. कंपनी की वित्तीय स्थिति, उद्योग में रुझान, नियुक्ति की योग्यताओं, अनुभव, पिछला कार्य निष्पादन, पिछला पारिश्रमिक, आदि पर विचार करना और प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक को देय पारिश्रमिक को स्वीकृति प्रदान करते समय कंपनी और शेयरधारकों के हित के बीच एक संतुलन बनाते हुए पारिश्रमिक संपुष्टि निर्धारित करने में निष्पक्षता उत्पन्न करना;

५. स्वतंत्र निदेशक एवं मंडल के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन मानदंड निर्धारित करना/प्रतिपादित करना;

६. मंडल बहुरूपता पर एक नीति ढूँढ निकालना;

७. प्रस्तावित/वर्तमान निदेशकों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति सुनिश्चित करना

८. स्वतंत्र निदेशक के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर, मंडल को सिफारिश करना कि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का कार्यकाल बढ़ाना या जारी रखना है या नहीं।

९. पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक तथा पारिश्रमिक में परिवर्तन की समीक्षा और अनुमोदन करना।

१०. मंडल को वरिष्ठ प्रबंधन (अर्थात, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक से एक स्तर नीचे मुख्य प्रबंधन टीम के सदस्य और विशेष रूप से कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल होंगे) को देय सभी पारिश्रमिक की सिफारिश करना; तथा

११. एसईबीआई (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, २०१४ (इसके संशोधन सहित) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति समिति के रूप में कार्य करना; कंपनी की ईएसओपी योजनाओं के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाली कर्मचारी स्टॉक विकल्पों की मात्रा निर्धारित करना; ईएसओपीएस प्रदान करने के लिए पात्रता निर्धारित करना; कंपनी कार्यवाहियों के मामले में निष्पक्ष और उचित समायोजन की प्रक्रिया तय करना; अनुदान की प्रक्रिया और शर्तें, कर्मचारी स्टॉक विकल्प निहित और प्रयोग करना; कर्मचारी स्टॉक विकल्प के नकदीरहित प्रयोग की प्रक्रिया आदि।

१२. मंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित किये हुए विशिष्ट दायित्वों का भार उठाना;

पारिश्रमिक नीति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर मंडल ने एक नामांकन और पारिश्रमिक नीति ("नीति") का निर्माण किया है, जो (क) चयन, नियुक्ति एवं निकासी; (ख) पारिश्रमिक; (ग) प्रदर्शन का मूल्यांकन; और (घ) मंडल विविधता प्रदान करता है। नीति उपलब्धियों की समीक्षा के आधार पर लाभदायक प्रदर्शन के लिए निर्देशित है। इसका लक्ष्य उच्च क्षमतावान प्रतिभा को आकर्षित करना है। नामांकन और पारिश्रमिक नीति कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर प्रकाशित की गई है।

पारिश्रमिक की सिफारिश के लिए मानदंड

अ) गैर-कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक धारा १७९ के तहत निर्धारित आधार पर लागू नियम के साथ पठित और सेबी सूचीकरण विनियमों के सीमा के भीतर तय किए गए हैं। कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक अपना पारिश्रमिक और कमीशन नीचे दिये अनुसार मंडल और समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के माध्यम से प्राप्त करते हैं:

(i) निदेशक को मंडल द्वारा, अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंतर्गत स्वीकृत लेखा परीक्षा समिति और मंडल की प्रत्येक बैठक के लिए बैठक फ़ीस ₹ १,००,०००/- और भाग ली हुई अन्य समितियों की बैठक के लिये बैठक फ़ीस ₹ ५०,०००/-;

(ii) दिनांक ७ अगस्त, २०१९ को आयोजित अस्सीवीं (८०वीं) एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए अनुसार वार्षिक आधार पर निदेशक द्वारा भाग ली हुई मंडल और लेखा परीक्षा समिति की प्रत्येक बैठक के लिये अधिनियम के तहत निर्धारित कंपनी के शुद्ध लाभ की १% सीमा के अध्यधीन ₹ १,००,०००/- कमीशन का भुगतान किया जाएगा।

(iii) मंडल और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा किए गए यात्रा और अन्य संबंधित खर्च की प्रतिपूर्ति;

(iv) कंपनी का/की स्वतंत्र निदेशक और ऐसा कोई कर्मचारी/निदेशक, जो प्रमोटर हो या प्रमोटर ग्रुप से संबंधित हो, कंपनी की ईएसओपी में भाग लेने का/की पात्र नहीं है।

सर्विस कान्ट्रैक्ट, नोटिस अवधि तथा सेवरेन्स फीस गैर-कार्यकारी निदेशकों पर लागू नहीं हैं।

ब) कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक

कार्यकारी निदेशकों, अर्थात, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश द्वारा तथा कंपनी के मंडल और शेयरधारकों द्वारा पारित प्रस्तावों से नियंत्रित होता है।

निम्नांकित की नियुक्ति और उन्हें देय पारिश्रमिक के नियम व शर्तें :

(i) श्री शेखर बजाज, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जैसा कि कंपनी के सदस्यों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से पारित दिनांक २३ दिसंबर, २०१९ के विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया गया, का आकलन इस वेबलिंग पर किया जा सकता है : www.bajajelectricals.com.

(ii) श्री अनुज पोद्दार, कार्यकारी निदेशक, जैसा कि कंपनी के सदस्यों द्वारा दिनांक ०७ अगस्त, २०१९ को आयोजित वार्षिक साधारण सभा में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया गया, का आकलन इस वेबलिंग पर किया जा सकता है : www.bajajelectricals.com.

कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज में आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा यथा अनुमोदित वेतन, कमीशन, अनुलाभ और भत्ते और भविष्य निधि में अंशदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदर्शन से जुड़ी है और नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा तय की जाती है और मंडल को उसकी स्वीकृति के लिए अनुशंसित की जाती है। प्रवर्तक कार्यकारी निदेशकों/गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए कंपनी की कोई स्टॉक विकल्प योजना नहीं है तथा केवल गैर-प्रवर्तक कार्यकारी निदेशक ही स्टॉक विकल्प योजनाओं के लिए पात्र हैं।

वित्त वर्ष २०१९-२० के दौरान, कंपनी ने किसी भी निदेशक को कोई ऋण नहीं दिया है।

प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक के कार्यालय की अवधि उनकी नियुक्ति की संबंधित तिथियों से ५ (पाँच) वर्ष है और इसे तीन माह की लिखित सूचना देकर किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकता है। पृथक्करण शुल्क के भुगतान का अलग से कोई प्रावधान नहीं है।

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक नीति

केएमपी और अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक काफी हद तक मूल वेतन, अनुलाभ, भत्ते और प्रदर्शन प्रोत्साहन मिलाकर बनता है। कुल पारिश्रमिक के घटक विभिन्न दर्जों के लिए अलग होते हैं और कर्मचारी के औद्योगिक तरीकों, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, उसके द्वारा उठाई गई जिम्मेदारियों, उसकी वार्षिक कार्यकुशलता आदि द्वारा शासित होते हैं। कार्यकुशलता भुगतान नीति कंपनी के उद्देश्यों से मेल खाने वाले मापदंडों पर प्रत्येक कर्मचारी का कार्यकुशलता भुगतान उसके व्यक्तिगत, व्यापारिक इकाई और कंपनी की समूची कार्यकुशलता से जुड़ा होता है।

वित्तीय वर्ष २०१९-२० के दौरान निदेशकों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक

निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है और इन्हें कंपनी सदस्यों द्वारा उपयुक्त रूप से अनुमोदित किया गया है। कंपनी के किसी भी निदेशक का कंपनी से कोई वित्तीय संबंध नहीं है। गैर-कार्यकारी निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम १७(६)(सीए) में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं है और विशेष प्रस्ताव द्वारा अंशधारकों का अनुमोदन नहीं बुलाया गया है। चूँकि, वित्तीय वर्ष २०१९-२० के लिए कंपनी के लाभ अपर्याप्त हैं, तब के प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक के वर्तमान पारिश्रमिकों का भुगतान उन्हें अधिनियम के अनुच्छेद १९६, १९७, १९८, २०३, अनुसूची V एवं इसके किन्हीं अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित विशेष प्रस्तावों के माध्यम से शेयर धारकों द्वारा अनुमोदित उनके पारिश्रमिक की शर्तों के अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक के रूप में किया गया था।

इस वर्ष के दौरान निदेशकों द्वारा लिया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है :

कार्यकारी निदेशक

निदेशक (कों) का नाम	वेतन एवं भत्ते	अनुलाभ	सेवानिवृत्त लाभ	देय कमीशन	कुल
श्री शेखर बजाज	२४८.४२	५६.९८	७६.१४	३७.९४	४१९.४८
श्री अनुज पोद्दार	२८२.७१*	०.४०	९.५४	-	२९२.६५

*रु. २७.३८ लाख के प्रदर्शन संबद्ध इंसेन्टिव सहित।

श्री अनुज पोद्दार कंपनी की ईएसओपी योजना के अंतर्गत ४०००० स्टॉक विकल्प रखते हैं।

गैर-कार्यकारी निदेशक

गैर-कार्यकारी निदेशक(कों) का/के नाम	बैठक शुल्क (₹)	वित्तीय वर्ष २०१९-२० के लिए प्रदान किया गया कमीशन (₹)***	कुल (₹)	दिनांक ३१ मार्च, २०२० को धारित इक्विटी शेयरों एवं कंवर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स की कुल संख्या
श्री मधुर बजाज	४,००,०००	१,४३,१६८	५,४३,१६८	९१७३४२
श्री राजीव बजाज*	२,००,०००	७१,५८४	२,७१,५८४	-
श्रीमती पूजा बजाज	७,००,०००	१,७८,९६०	८,७८,९६०	१४६३१९
श्री हर्ष वर्धन गोयंका	३,००,०००	१,०७,३७६	४,०७,३७६	-
डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह	१२,००,०००	३,५७,९२०	१५,५७,९२०	-
डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी	१२,५०,०००	२,५०,५४४	१५,००,५४४	-
श्री सिद्धार्थ मेहता	१६,००,०००	३,९३,७१२	१९,९३,७१२	-
श्री मुनीश खेत्रपाल	४,००,०००	१,४३,१६८	५,४३,१६८	-
श्री शैलेश हरिभक्ति**	७,५०,०००	२,५०,५४४	१०,००,५४४	-

*मंडल पर अतिरिक्त गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त, जो दिनांक २२ मई, २०१९ से प्रभावी है, जो दिनांक ७ अगस्त, २०१९ को आयोजित एजीएम में अंशधारकों द्वारा विनियमित है।

**कंपनी के अतिरिक्त गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त, जो दिनांक ७ अगस्त, २०१९ से प्रभावी है। इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षण समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त, जो क्रमशः दिनांक ६ नवंबर, २०१९ एवं दिनांक ७ जनवरी, २०२० से प्रभावी है।

***वित्तीय वर्ष २०१९-२० के लिए, अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कंपनी के शुद्ध लाभ के १% की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए, मंडल ने दिनांक १९ जून, २०२० को हुई अपनी बैठक में गैर-कार्यकारी निदेशकों को ₹ ३५,७९२/- का कमीशन, उक्त वर्ष में मंडल एवं लेखा-परीक्षण समिति की प्रत्येक बैठक में निदेशक द्वारा उपस्थित होने हेतु स्वीकृत किया है।

प्रदर्शन मूल्यांकन

अधिनियम के प्रावधानों और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, मंडल ने अपने स्वयं, अपनी समितियों और अलग-अलग निदेशकों के प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन किया है। मंडल के कामकाज के विभिन्न पहलुओं जैसे कि मंडल और उसकी समितियों की संरचना की पर्याप्तता, मंडल की संस्कृति, विशिष्ट कर्तव्यों, दायित्वों और नियंत्रण के निष्पादन और प्रदर्शन को शामिल करते हुए, एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई थी।

स्वतंत्र निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन संपूर्ण मंडल द्वारा किया गया, जिसमें मूल्यांकित हो रहे निदेशक शामिल नहीं थे। वैयक्तिक निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु एक अलग अभ्यास किया गया था। निदेशक मंडल के अध्यक्ष द्वारा मंडल/समितियों के प्रकार्यों का एक सिंहावलोकन प्राप्त करने हेतु सभी निदेशकों से वैयक्तिक रूप से चर्चा की गई, जो अन्य विषयों के साथ-साथ इन व्यापक मानदंडों पर थी, जैसे मंडल/समितियों की बैठकों में उपस्थिति एवं प्रतिभागिता का स्तर, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए निर्णयों की स्वतंत्रता, अंतरव्यक्तिगत संबंध आदि।

गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं समग्र रूप से मंडल का प्रदर्शन मूल्यांकन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किया गया था। कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का प्रदर्शन मूल्यांकन भी स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किया गया था, जो कि कार्यकारी निदेशक एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

प्रत्येक निदेशक द्वारा दी जाने वाली रेटिंग का एक समेकित सार तैयार किया गया था। फिर प्रदर्शन मूल्यांकन के प्रतिवेदन पर चर्चा हुई और उसे मंडल द्वारा दर्ज किया गया।

निदेशकों से प्राप्त निविष्टियों के आधार पर, निदेशकों के परामर्श से एक एक्शन प्लान तैयार किया गया, जिससे कंपनी के साथ उनकी अधिक संबद्धता प्रेरित हो।

(ग) हितधारकों की संबंध समिति

हितधारकों की संबंध समिति में तीन (३) निदेशक शामिल हैं। इसमें श्रीमती पूजा बजाज अध्यक्ष के रुप में, तथा डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी और श्री शेखर बजाज सदस्यों के रुप में और शामिल हैं। यह समिति एक घोषणा-पत्र (चार्टर) द्वारा शासित है।

कंपनी सचिव, श्री अजय नागले को कंपनी का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है। उन्हें वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप नोडल अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया।

बैठकें और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष २०१९-२० के दौरान हितधारक संबंध समिति चार (४) बार मिली, यानी ११ जून, २०१९ को, १७ सितंबर, २०१९ को, २ दिसंबर, २०१९ को और २३ जनवरी, २०२० को। इन सभी बैठकों में आवश्यक गणपूर्ति उपस्थित रही।

हितधारक संबंध समिति सदस्यों की उपस्थिति :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पद	श्रेणी	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
१.	श्रीमती पूजा बजाज	अध्यक्ष	गैर-कार्यकारी निदेशक	४/४
२.	श्री शेखर बजाज	सदस्य	कार्यकारी निदेशक	४/४
३.	डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	३/४

संदर्भ की शर्तें

हितधारकों की संबंध समिति की संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं :

१. शेयरों के हस्तांतरण/सौंपने, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्रों के निर्गमन, सामान्य बैठकों आदि से संबंधित शिकायतों सहित कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान।

२. शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

३. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजन्ट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

४. दावारहित लाभांशों की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिसों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

५. इक्विटी और/या प्रेफरेन्स शेयरों का निर्गमन और आवंटन।

६. आवंटन पर नए शेयर प्रमाणपत्र का निर्गमन।

७. डुप्लिकेट/विभाजित/समेकित शेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन।

८. शेयरधारकों के किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करना जो शेयरों के निर्गमन और आवंटन के संबंध में पैदा हो सकते हैं।

९. आवश्यक होने पर शेयरों के निर्गमन, आवंटन, हस्तांतरण और शेयरधारकों की किन्हीं शिकायतों के संबंध में किसी भी प्रश्न, संदेह या समस्या की स्थिति में निदेशक मंडल को संदर्भ।

कंपनी का सचिवालय विभाग और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सीधे या सेबी, शेयर बाजारों, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, कंपनी रजिस्ट्रार, आदि के माध्यम से प्राप्त शेयरधारकों की सभी शिकायतों पर ध्यान देते हैं। हितधारकों की संबंध समिति की बैठकों के कार्यवृत्त मंडल द्वारा संचलित और नोट किए जाते हैं।

यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया जाता है कि निवेशकों की पूर्ण संतुष्टि के लिए शिकायतों का अधिक तेजी से निवारण किया जाए। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे त्वरित कार्रवाई की सुविधा के लिए अपना अद्यतन टेलीफोन नंबर और ई-मेल पता जमा करें।

वित्त वर्ष २०१९-२० के दौरान शेयरधारकों की प्राप्त, निपटाई गई और लंबित शिकायतों का विवरण:

निवेशकों की शिकायतें	शिकायतों की संख्या
वर्ष के आरंभ में अनिर्णीत	१
वर्ष के दौरान प्राप्त	२
वर्ष के दौरान सुलझायी गयी	२
वर्ष के अंत में शेष अनसुलझी	१*

**इस रिपोर्ट की तिथि को, उक्त लंबित शिकायत का भी समाधान हो गया है।*

वे सभी शेयर हस्तांतरण प्रलेख, जो ३१ मार्च, २०१९ तक कंपनी के पास भेजे गए थे, उन्हें सभी तरह से उपयुक्त रूप से परिपूर्ण पाया गया और वैधानिक अवधि के भीतर प्रसंस्कारित किया गया। भौतिक स्वरूप में शेयरों के हस्तांतरण की अनुमति वैधानिक अधिसूचनाओं के माध्यम से ३१ मार्च, २०१९ के बाद नहीं दी गई।

(घ) जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम २१ के अनुसार, २८ मार्च, २०१९ को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के मंडल ने १ अप्रैल, २०१९ से प्रभावी होने वाली जोखिम प्रबंधन समिति का इसके सदस्यों के रूप में निम्नलिखित के साथ गठन किया:

१. श्री शेखर बजाज, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

२. श्री अनुज पोद्दार, कार्यकारी निदेशक

३. डॉ (श्रीमती) इन्दु शहानी, स्वतंत्र निदेशक

४. श्री सिद्धार्थ मेहता, स्वतंत्र निदेशक

५. श्री अनंत पुरंदरे, अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी

६. श्री ऋषिराज हल्दनकर, उपाध्यक्ष और प्रमुख - आंतरिक लेखा परीक्षा

कंपनी सचिव समिति के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं।

समिति की संरचना सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुरूप है, जिसमें अधिकांश सदस्य कंपनी के निदेशक हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, उक्त समिति की २६ मार्च, २०२० को एक बैठक हुई जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया।

संदर्भ की शर्तें

समिति की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ हैं।

क) कंपनी के लिए वर्तमान और साथ ही संभावित जोखिमों (साइबर सुरक्षा और वित्तीय जोखिम से जुड़े जोखिमों सहित) की पहचान, आकलन, शमन और निगरानी करना, उन्हें दूर करने के लिए मंडल से रणनीतियों की सिफारिश करना और इस संबंध में प्रमुख अग्रणी संकेतकों की समीक्षा करना।

ख) कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रथाओं सहित जोखिम प्रबंधन ढांचे की समय-समय पर समीक्षा और अनुमोदन करना।

ग) कंपनी के लिए महत्वपूर्ण जोखिमों का मूल्यांकन करना और समयोचित ढंग से जोखिमों का शमन करने के लिए प्रबंधन की कार्यवाही का आकलन करना।

घ) जोखिमों का शमन करने के लिए कार्य योजनाएँ विकसित और कार्यान्वित करना।

च) ऐसी अवस्थाओं में लेखा परीक्षा समिति के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करना जहाँ लेखा परीक्षा गतिविधियों (जैसे जोखिम प्रबंधन नीति या प्रथा से संबंधित आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षा मुद्दे) के साथ कोई अतिव्यापन है।

छ) ऐसे अंतरालों पर, जैसा कि आवश्यक हो सकता है, अपनी जोखिम प्रबंधन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी के संसाधनों की पर्याप्तता की देखरेख करना।

ज) कंपनी के पहचाने गए जोखिमों के विरूद्ध कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करना और समय-समय पर आकलन करना।

झ) इस सनद की पर्याप्तता की समय-समय पर समीक्षा करना और अनुमोदन के लिए मंडल को किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन की सिफारिश करना।

ट) नियमित रूप से महत्त्वपूर्ण व्यवसायिक जोखिमों की वर्तमान सूची की समीक्षा और अद्यतन करना।

ठ) जोखिम प्रबंधन और न्यूनतमीकरण प्रक्रियाओं के संबंध में मंडल को नियमित रिपोर्ट देना।

ड) जोखिम प्रबंधन योजना से संबंधित ऐसी अन्य गतिविधियाँ संपन्न करना, जैसा कि मंडल द्वारा अनुरोध किया गया है या इसकी संदर्भ की शर्तों के अधीन किसी भी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित मुद्दों को हल करना।

समिति इन उत्तरदायित्वों से हट सकती है और ऐसे अन्य उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकती है, जो उसे अपने प्रकार्यों के निर्वहन में आवश्यक या उपयुक्त लगें। जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में ऐसी अन्य मदें शामिल होंगी जैसा कि समय-समय पर लागू कानून या लागू कानून का पालन करते हुए मंडल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। समय-समय पर मंडल द्वारा समिति के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी।

च) राइट्स इश्यू समिति

राइट्स इश्यू समिति का विधिवत गठन मंडल द्वारा कंपनी के राइट्स इश्यू के उद्देश्य के लिए किया गया था, जिसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री शेखर बजाज और इसके सदस्यों के रूप में श्री अनुज पोद्दार, डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी एवं श्री सिद्धार्थ मेहता हैं।

कंपनी के कंपनी सचिव इस समिति के संयोजक के रूप में काम करते हैं।

बैठकें एवं उपस्थिति

राइट्स इश्यू समिति वित्तीय वर्ष २०१९-२० के दौरान दो (२) बार मिली, यानी ३१ जनवरी, २०२० को और १३ मार्च, २०२० को. सभी बैठकों में आवश्यक गणपूर्ति रही थी।

राइट्स इश्यू समिति के सदस्यों की उपस्थिति :

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	श्रेणी	उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या
१	श्री शेखर बजाज	अध्यक्ष	कार्यकारी निदेशक	१/२
२	श्री अनुज पोद्दार	सदस्य	कार्यकारी निदेशक	२/२
३	डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	२/२
४	श्री सिद्धार्थ मेहता	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	२/२

(छ) क्यूआईपी समिति

क्यूआईपी समिति का विधिवत गठन मंडल द्वारा कंपनी के योग्य संस्थागत नियोजन के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री शेखर बजाज और इसके सदस्यों के रूप में श्री अनुज पोद्दार, एवं श्री सिद्धार्थ मेहता हैं। कंपनी के कंपनी सचिव इस समिति के संयोजक के रूप में काम करते हैं।

यह समिति वित्तीय वर्ष २०१९-२० के दौरान एक बार २७ सितंबर, २०१९ को विभिन्न संबंधित मसलों पर विचार-विमर्श के लिए मिली और उक्त बैठक में समिति के सभी सदस्य शामिल हुए।

(ज) वित्त समिति

कंपनी की वित्त समिति है, जिसमें तीन निदेशक हैं यानी, इसके अध्यक्ष के रूप में श्री शेखर बजाज, और सदस्यों के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह एवं श्रीमती पूजा बजाज है। कंपनी सचिव इस समिति के संयोजक के रूप में काम करते हैं।

यह समिति अन्य विषयों के साथ-साथ, कंपनी के ऋणों, यदि कोई हों, जो कंपनी की व्यवसायिक एवं कार्यशील पूँजी संबंधी आवश्यकताओं के लिए फंड एवं नॉन-फंड आधार पर लिए गए थे, से संबंधित मसलों को देखती है, कंपनी के बीमा कार्यक्रम की समीक्षा करती है, बैंक खाते खोलने / चलाने / बंद करने के लिए कंपनी के अधिकारियों को अधिकरण जारी करती है या अधिकरण वापस लेती है, उन अन्य शक्तियों के साथ, जो उसे समय-समय पर मंडल द्वारा दिए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष २०१९-२० के दौरान इस समिति की कोई बैठकें नहीं हुई।

(झ) ऋणपत्र (डिबेंचर) समिति

अपने अंशदाताओं/आवंटियों को अपरिवर्तनीय ऋणपत्र (एनसीडी) आवंटित करने के उद्देश्य से ऋणपत्र समिति का गठन किया गया था। इसकी संरचना में समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री शेखर बजाज साथ में इसके सदस्यों के रूप में कार्यकारी निदेशक श्री अनुज पोद्दार और कंपनी के स्वतंत्र निदेशक श्री सिद्धार्थ मेहता शामिल हैं।

कंपनी के कंपनी सचिव इस समिति के संयोजक के रूप में कार्य करते है। एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड ऋणपत्र धारकों के लिए ऋणपत्र ट्रस्टी है। ऋणपत्र ट्रस्टी का विवरण इस रिपोर्ट का भाग है।

वित्तीय वर्ष २०१९-२० के दौरान समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

(ट) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में उल्लेखित अनुसार विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियाँ संचालित करने हेतु की गई थी, जिसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री शेखर बजाज तथा इसके सदस्यों के रूप में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक, डॉ. (श्रीमती) इन्दु शहानी और श्री सिद्धार्थ मेहता हैं।

वित्तीय वर्ष २०१९-२० के दौरान, यह समिति एक बार २६ मार्च, २०२० को मिली थी और उक्त बैठक में समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन को एक अलग अध्याय में संलग्न किया गया है और वह इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

सहायक कंपनियाँ

कंपनी की यथा संशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुरूप महत्वपूर्ण सहायक कंपनियाँ निर्धारित करने की नीति है और इसे कंपनी के वेबसाइट www.bajajelectricals.com पर भी अपलोड किया गया है। कंपनी की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है और इसलिए असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित आवश्यकताएँ कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

वार्षिक आम सभा

पूर्व तीन एजीएम (वार्षिक आम सभा) का विवरण :

एजीएम	वित्तीय वर्ष	एजीएम का दिन, तिथि और समय	स्थान	विशेष प्रस्ताव का विवरण पारित
७८ वीं एजीएम	२०१६-१७	गुरुवार, ०३ अगस्त २०१७ सुबह ११.३० बजे	वालचंद हिराचंद हॉल, ४ थी मंज़िल, इंडियन मर्चेन्ट्स चेम्बर, आईएमसी मार्ग,चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२०.	क प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों का निर्गमन.
७९ वीं एजीएम	२०१७-१८	गुरुवार, ०९ अगस्त २०१८ दोपहर १२.०० बजे	कमलनयन बजाज हॉल, बजाज भवन, जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१	क. प्रतिभूति निर्गमन के माध्यम से उधारी ख. कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री अनंत बजाज की प्रोन्नति और पुन: पदनामितिकरण; ग. कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से भिन्न स्थान पर सांविधिक पंजिकाओं का रखरखाव; तथा घ. कंपनी अधिनियम, २०१३ के अनुरूप कंपनी के संस्था अंतर्नियम के नए सेट का अंगीकरण.
८०वीं एजीएम	२०१८-१९	बुधवार,०७ अगस्त, २०१९ को दोपहर १२.३० बजे	कमलनयन बजाज हॉल, बजाज भवन, जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१	क. कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री अनुज पोद्दार की नियुक्ति ख. कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों में परिवर्तन ग. प्रतिभूतियों के निर्गमन द्वारा ऋण लेना; एवं घ. प्रतिभूतियों का आगामी निर्गमन

डाक मतदान के माध्यम से पारित विशेष प्रस्ताव के विवरण, वे व्यक्ति जिन्होंने डाक मतदान अभ्यास संचालित किया और मतदान स्वरूप तथा डाक मतदान की प्रक्रिया के विवरण।

वित्तीय वर्ष २०१९-२० के दौरान, कंपनी ने १ नवंबर, २०१९ से प्रभावी होकर, ५ वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री शेखर बजाज की पुनर्नियुक्ति के लिए डाक मतदान संचालित किया।

मतदान की प्रक्रिया को एक उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मेसर्स अनंत बी. खमनकर एंड कंपनी; प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़ (सदस्यता क्रमांक एफसीएस ३१९८; सीपी नं. १८६०) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस डाक मतदान के परिणामों की घोषणा २४ दिसंबर, २०१९ को की गई और प्रस्ताव पर मतदान परिणाम के विवरण इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	विवरण	मत (शेयरों की संख्या एवं %)	
		पक्ष में	विपक्ष में
१.	१ नवंबर, २०१९ से प्रभावी होकर, ५ वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री शेखर बजाज की पुनर्नियुक्ति	७४,८२२,५०८ (९९.९९%)	८,१९७ (०.०१%)

कंपनी ने डाक मतदान सूचना दिनांकित ६ नवंबर, २०१९ एवं डाक पूर्व-भुगतानित व्यवसायिक प्रत्युत्तर लिफाफे सहित डाक मतदान प्रपत्र सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ई-मेल के माध्यम से, तथा जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं किए थे, उन सदस्यों को भौतिक प्रति के माध्यम से भेजे थे। कंपनी ने सदस्यों को इसकी सूचना देने के लिए समाचार-पत्रों में सूचना भी प्रकाशित करवाई थी। मतदान के अधिकार अंतिम तिथि पर सदस्यों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों पर संगणित किए गए थे।

डाक मतदान एवं ई-वोटिंग के लिए मतदान अवधि रविवार, २४ नवंबर, २०१९ को सुबह ९.०० बजे (भारतीय मानक समय) से सोमवार, २३ दिसंबर, २०१९ को शाम ५.०० बजे (भारतीय मानक समय) तक थी। डाक मतदान के परिणामों को सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम ४४(३) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजो को सूचित किए गए और साथ ही उन्हें कंपनी की वेबसाइट www.bajajelectricals.com पर भी प्रदर्शित किया गया। कंपनी ने कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम २२ के साथ पठित, अधिनियम के अनुच्छेद ११० के प्रावधानों के अनुसार डाक मतदान के लिए प्रक्रिया का अनुपालन भी किया।

डाक मतदान के माध्यम से किसी प्रस्ताव को पारित करने हेतु कोई त्वरित प्रस्ताव नहीं है। आगामी वार्षिक आम सभा में निष्पादित होने वाले किसी भी व्यवसायिक प्रस्ताव के लिए डाक मतदान के माध्यम से विशेष प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं थी।

शेयरधारकों के साथ संचार के साधन

(i) अ-लेखापरीक्षित तिमाही/छमाही परिणाम, तिमाही की समाप्ति के पैंतालीस (४५) दिनों के भीतर घोषित कर दिए जाते हैं। लेखा परीक्षण किए हुए वार्षिक परिणाम, सेबी सूचीकरण विनियमों की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय वर्ष के समापन से साठ (६०) दिनों के भीतर घोषित किए जाते हैं।

(ii) स्वीकृत वित्तीय परिणाम उसी समय स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे जाते हैं और 'फ्री प्रेस जर्नल'(अंग्रेजी समाचार पत्र) और 'नवशक्ति' (स्थानीय भाषा मराठी अखबार) में इसके अनुमोदन के अड़तालीस (४८) घंटे के भीतर प्रकाशित होते हैं। फिलहाल इसे शेयरधारकों को अलग से नहीं भेजा जाता है।

(iii) कंपनी के वित्तीय परिणाम और आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियाँ कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर प्रदर्शित की जाती हैं।

(iv) सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत सभी वित्तीय एवं अन्य अत्यावश्यक आधिकारिक समाचार जारीकरण एवं प्रलेख, जिनमें संस्थागत निवेशकों और/या विश्लेषकों को किए जाने वाले कोई प्रस्तुतिकरण शामिल हैं, से भी संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को अवगत करवा दिया गया था और इसके साथ उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया था।

(v) तिमाही परिणाम, शेयरधारिता शैली, त्रैमासिक अनुपालन और अन्य सभी कॉर्पोरेट संचार, स्टॉक एक्सचेंजों जैसे की, बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी ने बीएसई के बीएसई सूचीकरण केंद्र के माध्यम से सबमिशन दाखिल करने का अनुपालन किया है। इसी तरह, एनएसई के एनईएपीएस पोर्टल के माध्यम से एनएसई के साथ भी उक्त जानकारी को इलेक्टॉनिक रूप से साझा किया जाता है।

(vi) कंपनी की वेबसाइट पर एक अलग समर्पित अनुभाग, "इन्वेस्टर्स रिलेशन" दावा-रहित लाभांश, शेयरधारिता शैली, तिमाही/छमाही परिणाम और ब्याज की अन्य प्रासंगिक जानकारी निवेशकों/जनता को देता है।

(vii) सेबी एक केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली यानी एससीओआरईएस (स्कोर्स) में निवेशकों की शिकायतों को संसाधित करता है। इस प्रणाली के माध्यम से एक शेयरधारक अपनी शिकायत के निवारण के लिए कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। कंपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई को अपलोड करती है जिसे शेयरधारक द्वारा देखा जा सकता है। कंपनी और शेयरधारक, सेबी के माध्यम से ऑनलाइन स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और दे सकते हैं।

(viii) कंपनी ने निवेशक से संपर्क के लिए ईमेल आईडी : legal@bajajelectricals.com को नामित किया है, और इसे कंपनी की वेबसाइट www.bajajelectricals.com पर प्रमुखता से दर्शाया गया है।

अभिपुष्टि और प्रकटीकरण

ए. संबंधित पक्ष लेनदेन

जैसा कि अधिनियम और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम २३ के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, वित्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेन-देन व्यवसाय की साधारण कार्यप्रणाली में एवं निष्पक्ष वाणिज्यिक आधार पर थे और ये अधिनियम की धारा १८८ के प्रावधानों के साथ अनुपालन में हैं। वित्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ वस्तुत: कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ था। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और टिप्पणियों के अंतर्गत संबंधित पक्ष लेन-देन का प्रकटीकरण किया गया है और "आईएनडी एएस" के अनुसार वित्तीय विवरणों का भाग हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष वाणिज्यिक आधार पर संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देनों का विवरण समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति के समक्ष समीक्षा के लिए और मंडल के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए सिफारिश हेतु रखा जाता है।

जैसा कि सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम २३ (१) के अंतर्गत आवश्यक है, कंपनी ने संबंधित पक्ष लेनदेन से व्यवहार करने की नीति तैयार की है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर उपलब्ध है।

सभी लेनदेन निष्पक्ष वाणिज्यिक या उचित मूल्य आधार पर किए गए हैं और उनका कंपनी के हित के साथ कोई संभावित टकराव नहीं है।

बी. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पूँजी बाजारों से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन, स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर आरोपित अर्थदंडों और व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों का विवरण।

पिछले तीन (३) वर्षों में कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन की ऐसी कोई भी घटनाएँ नहीं हुई हैं, जिनके लिए कंपनी पर कोई अर्थदंड लगाने, स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर बाध्यताएँ लगाने की आवश्यकता हुई हो या पूँजी बाजारों से संबंधित कोई मसला नहीं हुआ है, सिवाय रु. १०,००० के अर्थदंड के भुगतान के, जिसका भुगतान बीएसई और एनएसई को सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम ४४(३) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर, २६ मार्च, २०१९ को हुए डाक मतदान के मतदान परिणामों को जमा करने में एक (१) दिन के विलंब के लिए किया गया था।

सी. चौकसी तंत्र/ व्हिसिल ब्लोअर नीति

अधिनियम के अनुच्छेद १७७ (९) एवं (१०) के प्रावधानों एवं इनके अंतर्गत गठित नियमों, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम २२ एवं सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषिद्धता) विनियम, २०१५, यथा संशोधित, के अनुरूप, कंपनी ने एक व्हिसिल ब्लोअर नीति बनाई है, जो सभी कर्मचारियों एवं कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले अन्य व्यक्तियों पर लागू है, जिसके अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अस्वीकार्य अनुचित कार्यप्रणालियों और/या अनैतिक कार्यप्रणालियों और/या वास्तवित चिंताओं को प्रतिवेदित करना एवं अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचनाओं के प्रकटीकरण की घटनाएँ प्रतिवेदित करने हेतु जागरूकता लाना शामिल है।

व्हिसिल ब्लोअर द्वारा समस्त संरक्षित प्रकटीकरण कंपनी सचिव और कंपनी के अनुपालन अधिकारी को संप्रेषित किए जाएँगे। कंपनी सचिव के विरुद्ध संरक्षित प्रकटीकरण को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को संप्रेषित करना चाहिए और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के विरुद्ध संरक्षित प्रकटीकरण लेखा-परीक्षण समिति के अध्यक्ष को संप्रेषित किया जाना चाहिए।

यह नीति ऐसी क्रियाविधि का उपयोग करने वाले सभी सचेतकों (व्हिसिल ब्लोअर) को पीड़ितकरण के प्रति पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवाती है।

समीक्षा अंतर्गत वर्ष के दौरान, कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने लेखा-परीक्षण समिति की पहुँच को अस्वीकृत नहीं किया है। व्हिसिल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर प्रदर्शित है।

डी. गैर-अनिवार्य (विवेकाधीन) आवश्यकताओं के अंगीकरण का विवरण

सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम २७ के अंतर्गत गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है :

- **मंडल**

  गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के कार्यालय के रखरखाव और खर्चों की प्रतिपूर्ति से संबंधित आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है क्योंकि कंपनी का अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है।

- **शेयरधारकों के अधिकार**

  कंपनी ने शेयरधारकों को वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा भेजने की प्रथा को नहीं अपनाया है। मंडल द्वारा यथा अनुमोदित तिमाही परिणाम शेयर बाजारों को प्रसारित किए जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन किए जाते हैं।

- **लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय**

  लेखा परीक्षा रिपोर्टों में कोई संशोधित राय नहीं है।

- **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग**

  अधिनियम की धारा १३८ के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है जो लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट देता है। त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत आंतरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्ट की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है और आवश्यक कार्रवाई के लिए सुझाव/ निर्देश, यदि कोई हो, दिए जाते हैं।

ई. कमोडिटी मूल्य जोखिम या फॉरेन एक्स्चेंज जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ

कंपनी में कमोडिटी के लिए पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन और न्यूनतमीकरण प्रणाली है। कंपनी का किसी भी कमोडिटी से महत्वपूर्ण संपर्क नहीं है और तदनुसार इसके लिए कोई हेजिंग गतिविधियाँ नहीं की जाती हैं। इसलिए, सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/ सीआईआर/ पी/२०१८/०००००००१४१ दिनांकित १५ नवंबर, २०१८ के संदर्भ में प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रकटीकरण नहीं है।

एफ. जैसा कि विनियम ३२ (७ ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट है, अधिमानी आवंटन या अर्हताप्राप्त संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का विवरण।

कंपनी ने इशू की शर्तों के अनुसार तीन श्रंखलाओं में वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के दौरान रु. १०,००,००० (रुपए दस लाख) प्रत्येक के असुरक्षित, प्रतिदान-योग्य नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी), जो समेकित रूप से रु. १८५ करोड़ के हैं, निजी नियोजन आधार पर जारी एवं आवंटित किए हैं। एनसीडी जारी करने के माध्यम से प्राप्त निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग, इशू प्रलेखों में निर्दिष्ट उपयोगों के लिए ही किया गया है और प्राप्तियों के उपयोग में कोई विचलन नहीं है।

जी. व्यवसायरत कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र कि कंपनी के मंडल में कोई भी निदेशक मंडल/कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने से विवर्जित नहीं किया गया या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

कंपनी को मेसर्स अनंत बी. खमनकर एंड कंपनी, प्रैक्टीसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़ (सदस्यता क्रमांक एफसीएस ३१९८; सीपी नं. १८६०) से इस बात का प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है कि मंडल/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के मंडल के किसी भी निदेशक को नियुक्त होने से या कंपनियों की निदेशकता जारी रखने से वंचित या अपात्र नहीं किया गया है। यह इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

एच. जहाँ प्रासंगिक वित्त वर्ष में मंडल ने मंडल की किसी भी समिति की किसी भी अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया था जो अनिवार्य रूप से आवश्यक थी।

लागू नहीं

आई. वैधानिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान किया गया शुल्क, जिसका भुगतान कंपनी और उसकी सहायक संस्थाओं द्वारा किया गया हो।

३१ मार्च, २०२० को समाप्त वर्ष के दौरान एस आर बी सी एंड कं. एलएलपी, जिसका आईसीएआई रजिस्ट्रेशन नंबर ३२४९८२ई/ ई३००००३ है, कंपनी के वैधानिक लेखा-परीक्षकों एवं उस नेटवर्क संस्था में अन्य फर्मों, जिनके वैधानिक

लेखा-परीक्षक हिस्सा हैं, को एक समेकित आधार पर कंपनी एवं इसकी सहायक संस्थाओं द्वारा सभी सेवाओं के लिए भुगतान किया गया कुल शुल्क इस प्रकार है :

(राशि : ₹ लाख में)

विवरण	एस आर बी सी एंड कं. एलएलपी एवं उनकी नेटवर्क संस्थाएँ**
लेखा-परीक्षण एवं संबंधित सेवाओं के लिए शुल्क***	२३९.३५*
अन्य शुल्क	७.४५
कुल	२४६.८०

*जेब से होने वाले व्ययों को छोड़कर, जिनकी प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की गई थी।

**समीक्षा अंतर्गत वर्ष के दौरान, एस आर बी सी एंड कं. एलएलपी की नेटवर्क संस्थाओं को कोई भुगतान नहीं किया गया था।

***इसमें राइट्स इश्यू व्ययों के लिए ₹ ७५.३५ लाख शामिल हैं।

जे. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, २०१३ के संबंध में प्रकटीकरण।

वर्ष के दौरान दाखिल और निपटाई गई और ३१ मार्च, २०२० को लंबित शिकायतों की संख्या का विवरण निदेशकों के रिपोर्ट में दिया गया है।

के. सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणन

इस समीक्षा अंतर्गत वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीईओ) श्री शेखर बजाज तथा कंपनी के प्रेसिडेंट एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री अनंत पुरंदरे द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम १७(८) के अनुसार १९ जून, २०२० को आयोजित बैठक में मंडल के समक्ष रखा गया था और उक्त प्रमाण-पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीईओ) तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी ने वित्तीय परिणामों पर त्रैमासिक प्रमाणन भी दिया है, वहीं सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम ३२(२)(ए) के अनुसार मंडल के समक्ष वित्तीय परिणाम रखे गए थे।

एल. लेखा परीक्षकों द्वारा अनुपालन प्रमाण पत्र

कंपनी के लेखा परीक्षकों मेसर्स एस आर बी सी एंड कंपनी एलएलपी का प्रमाणपत्र, कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों, जो सेबी सूचीकरण नियमों की V अनुसूची के खंड ई के तहत निर्धारित है, के अनुपालन की पुष्टि करता है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

विनियम १७ से २७ और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम ४६ (२) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण	विनियम	अनुपालन स्थिति (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	विनियमों का संक्षिप्त विवरण
१.	निदेशक मंडल	१७	हाँ	• निदेशकों की संरचना एवं नियुक्ति
				• बैठकें और गणपूर्ति
				• अनुपालन प्रतिवेदनों की समीक्षा
				• नियुक्तियों के लिए क्रमागत अनुक्रमण की योजनाएँ
				• आचार संहिता
				• गैर-कार्यकारी निदेशकों को शुल्क/प्रतिपूर्ति, मंडल के समक्ष रखी जाने वाली न्यूनतम जानकारी
				• मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा अनुपालन प्रमाण-पत्र
				• जोखिम आकलन और जोखिम प्रबंधन योजना
				• स्वतंत्र निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन
				• विशेष व्यवसाय की प्रत्येक मद के लिए मंडल की अनुशंसा।
२.	निदेशकता की अधिकतम संख्या	१७ए	हाँ	• सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकता
३.	लेखा परीक्षा समिति	१८	हाँ	• संरचना
				• बैठकें और गणपूर्ति
				• वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित अध्यक्ष
				• समिति की भूमिका
४.	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	१९	हाँ	• संरचना
				• वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित अध्यक्ष
				• बैठकें और गणपूर्ति
				• समिति की भूमिका
५.	हितधारकों की संबंध समिति	२०	हाँ	• संरचना
				• वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित अध्यक्ष
				• बैठकें
				• समिति की भूमिका

क्र. सं.	विवरण	विनियम	अनुपालन स्थिति (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	विनियमों का संक्षिप्त विवरण
६.	जोखिम प्रबंधन समिति	२१	हाँ	• संरचना
				• बैठकें
				• समिति की भूमिका
७.	चौकसी तंत्र	२२	हाँ	• निदेशकों और कर्मचारियों के लिए निगरानी क्रियाविधि
				• अत्याचार के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा-उपाय
				• लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुँच
८.	संबंधित पक्ष लेनदेन	२३	हाँ	• संबंधित पक्ष लेनदेनों के महत्व और संबंधित पक्ष लेनदेनों के साथ व्यवहार पर नीति.
				• संबंधित पक्ष लेनदेनों के लिए लेखा परीक्षा समिति के सर्वग्राही अनुमोदन सहित पूर्व अनुमोदन.
				• संबंधित पक्ष लेनदेनों की सावधिक समीक्षा
				• संबंधित पक्ष लेनदेनों पर प्रकटीकरण
९.	कंपनी की सहायक कंपनियाँ	२४	हाँ	• लेखा परीक्षा समिति द्वारा सहायक कंपनियों के निवेशों तथा वित्तीय लेखा-विवरणों की समीक्षा।
				• सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल के कार्यवृत्तों को निदेशक मंडल की बैठक में रखा गया है।
				• सहायक कंपनियों की व्यवस्थाओं और महत्वपूर्ण लेनदेनों को निदेशक मंडल की बैठक में रखा गया है।
१०.	साचिविक लेखा परीक्षण	२४ए	हाँ	• वार्षिक साचिविक परीक्षण रिपोर्ट और वार्षिक साचिविक अनुपालन रिपोर्ट।
११.	स्वतंत्र निदेशक के संबंध में दायित्व	२५	हाँ	• अधिकतम निदेशकताएँ और अवधि
				• स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें
				• स्वतंत्र निदेशकों की समाप्ति और नियुक्ति
				• स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रदर्शन की समीक्षा
				• स्वतंत्र निदेशकों का परिचितीकरण
				• स्वतंत्र निदेशक की ओर से घोषणा, कि वह स्वतंत्रता के मानदंडों का पूरा करता/करती है।
				• सभी स्वतंत्र निदेशकों के लिए निदेशक एवं अधिकारी बीमा
१२.	निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के संबंध में दायित्व	२६	हाँ	• समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता
				• निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन पर अभिपुष्टि
				• गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा अंशधारकता का प्रकटीकरण
				• हितों के संभावित टकराव के बारे में वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण
				• प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, निदेशक एवं प्रमोटर द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों में डीलिंग के संबंध में प्रतिपूर्ति या लाभ साझाकरण के बारे में कोई सहमति (अनुबंध) नहीं
१३.	अन्य कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताएँ	२७	हाँ	• कार्पोरेट प्रशासन पर त्रैमासिक, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन दाखिल करना।
१४.	वेबसाइट	४६(२) (बी) - (i)		• स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम व शर्तें
				• निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना
				• निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की आचार संहिता
				• चौकसी तंत्र / व्हिसिल ब्लोअर नीति की स्थापना के विवरण
				• संबंधित पक्ष लेनदेनों के साथ डीलिंग पर नीति
				• महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति
				• स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त परिचितीकरण कार्यक्रमों के विवरण

सामान्य शेयरधारक जानकारी

ए. कंपनी की जानकारी

यह कंपनी भारत के महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा कंपनी को जारी किया गया कॉर्पोरेट आईडेंटिटी नंबर (सीआईएन) है L३१५००MH१९३८PLC००९८८७।

बी. साधारण निकाय बैठकों की जानकारी

वित्तीय वर्ष २०१९-२० के लिए एजीएम

दिन एवं समय	शुक्रवार, २८ अगस्त, २०२०
समय	दोपहर २.३० बजे (भा.मा.स.)
विधि	विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यमों द्वारा
वित्तीय वर्ष	१ अप्रैल, २०१९ से ३१ मार्च, २०२०

वित्तीय वर्ष २०१९-२० के दौरान कोई ईजीएम/कोर्ट या ट्रिब्यूनल कंवेयड मीटिंग नहीं हुई थी।

सी. लाभांश : कंपनी के मंडल ने वित्तीय वर्ष २०१९-२० के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया।

डी. ३१ मार्च, २०२१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए संभावित कैलेंडर

वित्त वर्ष - १ अप्रैल से ३१ मार्च

त्रैमासिक वित्तीय परिणामों पर विचार के लिए मंडल की बैठक की संभावित तारीखें इस प्रकार हैं :

तिमाही का ब्योरा	संभावित तिथियां
पहली तिमाही के परिणाम	अगस्त २०२० के दूसरे हफ्ते में
दूसरी तिमाही तथा छमाही के परिणाम	नवंबर २०२० के दूसरे हफ्ते में
तीसरी तिमाही के परिणाम	फरवरी २०२१ के दूसरे हफ्ते में
चौथी तिमाही तथा वार्षिक परिणाम	मई २०२१ के चौथे हफ्ते में

३१ मार्च, २०२० को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय परिणामों के अनुमोदन के लिए मंडल की बैठकें निम्नांकित तिथियों पर हुई :

तिमाही का ब्योरा	संभावित तिथियां
पहली तिमाही के परिणाम	७ अगस्त, २०१९
दूसरी तिमाही तथा छमाही के परिणाम	६ नवंबर, २०१९
तीसरी तिमाही के परिणाम	४ फरवरी २०२०
चौथी तिमाही तथा वार्षिक परिणाम	*१९ जून, २०२०

*सेबी द्वारा दी गई शिथिलता/विस्तार के अनुसार।

ई. स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध तथा स्टॉक कोड

कंपनी के शेयर वर्तमान में निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं :

स्टॉक एक्सचेंजों के नाम	पता	स्टॉक कोड
बीएसई लिमिटेड	फीरोज जीजीभाई टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई ४००००१	५०००३१
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०००५१	BAJAJELEC

डिपॉज़िटरीज़ (एनएसडीएल एवं सीडीएसएल) सिस्टम के अंतर्गत कंपनी के रु. २ प्रत्येक के अंकित मूल्य के शेयरों को आवंटित आईएसआईएन नंबर है INE१९३E०१०२५ ₹ १०,००,०००/- प्रत्येक अंकित मूल्य के असुरक्षित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडीज़) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के थोक ऋण बाजार खंड में सूचीबद्ध हैं:

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के लिए, कंपनी ने दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण शुल्क एवं दोनों डिपॉज़िटरियों को वार्षिक कस्टडी/इश्युअर शुल्क का भुगतान कर दिया है।

एफ. कंपनी द्वारा जारी एनसीडी के विवरण

श्रृंखला	आईएसआईएन	मूलधन राशि (रु. लाख में)	परिपक्वता की तिथि	कूपन दर %
विकल्प ए	INE१९३E०८०३८	३,५००	१९ फरवरी, २०२१	११% प्रति वर्ष की परिपक्वता की एक प्राप्ति पर शून्य कूपन वाली एनसीडी
विकल्प बी	INE१९३E०८०२०	७,५००	२० अगस्त, २०२१	
विकल्प सी	INE१९३E०८०१२	७,५००	१८ फरवरी, २०२२	

जी. बाजार मूल्य डेटा

बीएसई सेंसेक्स अप्रैल २०१९ - मार्च २०२० के समक्ष बीएसई पर बीईएल शेयर मूल्य

माह	बीएसई सेंसेक्स समापन	बीईएल शेयर मूल्य			माह के दौरान ट्रेडेड शेयरों की संख्या	टर्नओवर (रु.) करोड़
		उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	समापन (रु.)		
अप्रैल-१९	३९,०३१.५५	५८७.७५	५२८.२५	५७०.१५	७९३१६९	४४.४४
मई-१९	३९,७१४.२०	५७४.९५	५२१.७०	५३८.६५	२४१८६६	१३.२९
जून-१९	३९,३९४.६४	५५०.३०	४९९.००	५३०.१०	११५३२८	५.९७
जुलाई-१९	३७,४८१.१२	५४८.५०	३३८.८५	३६४.३०	४७२५७२	२२.२१
अगस्त-१९	३७,३३२.७९	४०६.१०	३४०.३०	३९२.४५	६३७२२०	२४.२०
सितंबर-१९	३८,६६७.३३	४२६.७५	३६८.००	३९०.०५	१५३७८४	६.०७
अक्तूबर-१९	४०,१२९.०५	४१३.३०	३६७.००	३७८.६५	१००१५२	३.८८
नवंबर-१९	४०,७९३.८१	३९८.९०	३०६.३०	३३९.३५	३२४६२७	१०.९१
दिसंबर-१९	४१,२५३.७४	३५९.९०	३१६.००	३५७.८५	१८१६६६	६.०७
जनवरी-२०	४०,७२३.४९	४०४.१५	३४६.५५	३७३.५०	३०४७४८	११.४२
फरवरी-२०	३८,२९७.२९	४५९.६०	३४५.९५	४०३.००	४०६७४९	१६.८६
मार्च-२०	२९,४६८.४९	४३४.६५	२६४.०५	२६७.४५	१६७६८०	५.७८

बीएसई एवं बीएसई सेंसेक्स पर बीईएल शेयर मूल्य

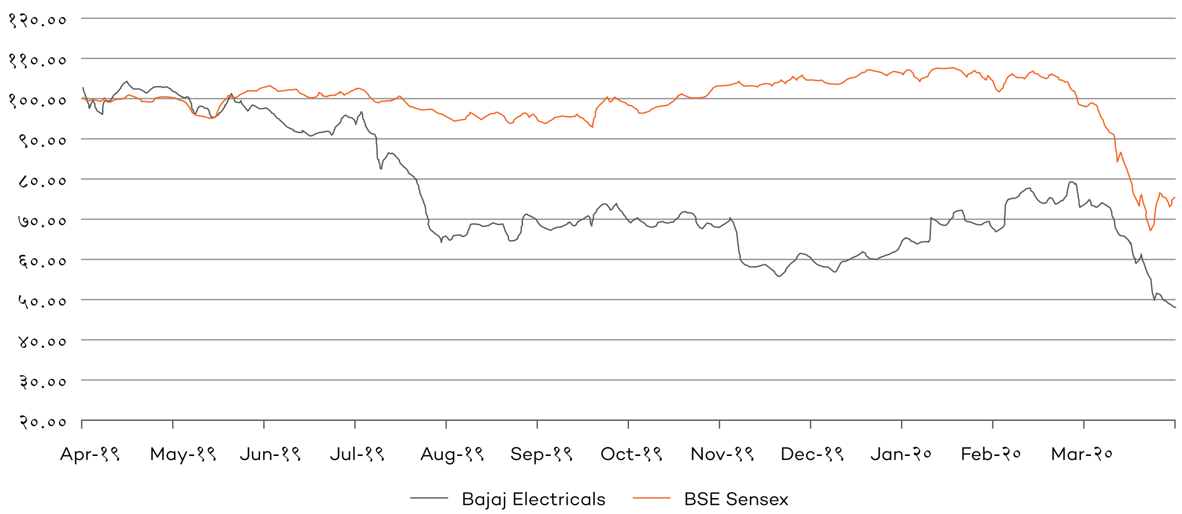

टिप्पणी : बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और बीएसई सेंसेक्स का शेयर मूल्य १ अप्रैल, २०१९ को १०० पर सूचीबद्ध किया गया है।

एनएसई निफ्टी अप्रैल २०१९ से मार्च २०२० के समक्ष एनएसई पर बीईएल शेयर मूल्य

माह	बीएसई सेंसेक्स समापन	बीईएल शेयर मूल्य			माह के दौरान ट्रेडेड शेयरों की संख्या	टर्नओवर (रु.) करोड़
		उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	समापन (रु.)		
अप्रैल-१९	११,७४८.१५	५८७.७०	५२८.०५	५७१.८५	४७४६२६६	२६६.३२
मई-१९	११,९२२.८०	५७४.००	५२१.६०	५३७.४०	३५१८७९०	१९२.९०
जून-१९	११,७८८.८५	५४९.४०	४९८.३५	५२९.२५	१५५१०११	८०.१९
जुलाई-१९	११,११८.००	५४१.००	३३८.४५	३६४.७५	४०८३२०१	१७८.०४
अगस्त-१९	११,०२३.२५	४०६.००	३४७.००	३९२.५०	३२७३४०२	१२२.८९
सितंबर-१९	११,४७४.४५	४२७.८०	३६७.४०	३९०.९५	१७४२४५७	६८.९०
अक्तूबर-१९	११,८७७.४५	४१३.८०	३७०.००	३७८.६५	१७४१३९५	६७.५५
नवंबर-१९	१२,०५६.०५	३९४.६५	३०६.७०	३३९.७०	४२५५०९५	१४४.०२
दिसंबर-१९	१२,१६८.४५	३६०.००	३१५.२०	३५८.१५	२९८००५९	१०१.१६
जनवरी-२०	११,९६२.१०	४०४.६०	३४६.८५	३७३.५५	४०९८१४५	१५५.५६
फरवरी-२०	११,२०१.७५	४६०.००	३४७.६५	४०३.३०	५०७२८७८	२१०.९२
मार्च-२०	८,५९७.७५	४३५.००	२६३.५५	२६८.४५	३६४१८६९	१२४.४२

एनएसई एवं एनएसई निफ्टी पर बीईएल शेयर मूल्य

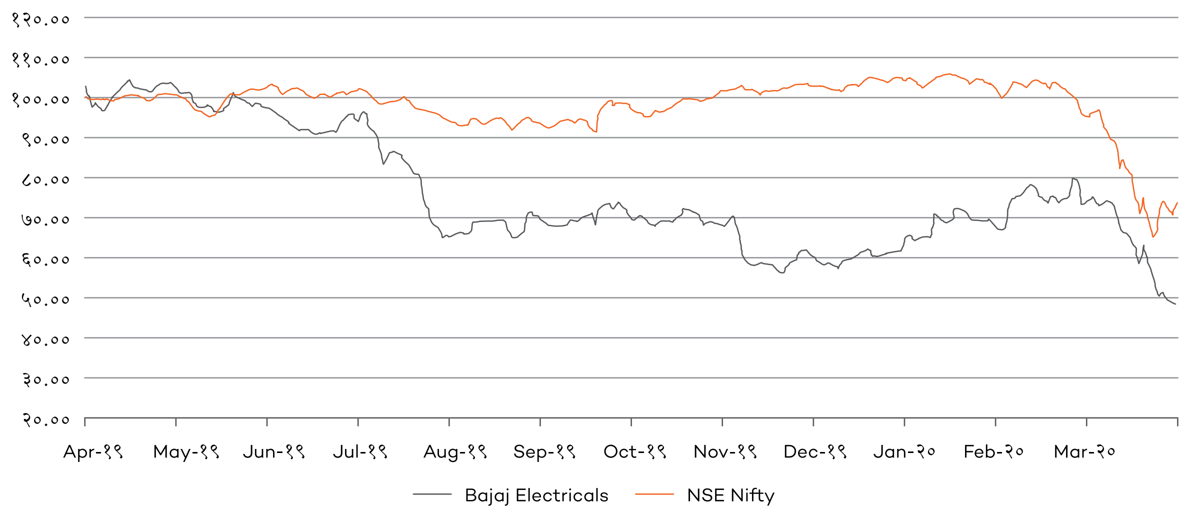

टिप्पणी : बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और एनएसई निफ्टी का शेयर मूल्य १ अप्रैल, २०१९ को १०० पर सूचीबद्ध किया गया है।

एच. शेयर ट्रांसफर सिस्टम / डिविडेंड एवं अन्य संबंधित मसले

i) शेयर ट्रांसफर सिस्टम

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल द्वारा जारी अधिसूचना क्र. SEBI/LAD/NRO/GN/२०१८/२४ दिनांकित ८ जून, २०१८ के प्रावधानों एवं प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित ३ दिसंबर, २०१८ के प्रकाश में, सदस्य कृपया यह ध्यान में रखें कि १ अप्रैल, २०१९ से प्रभावी होकर, शेयरों का ट्रांसफर (शेयरों के ट्रांसमिशन एवं ट्रांसपोजीशन को छोड़कर) केवल अभौतिक स्वरूप (डिमटेरियलाइज़्ड) में ही होगा।

जिन शेयरधारकों के पास शेयर भौतिक स्वरूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को जल्द से जल्द अभौतिक (डिमटेरियलाइज़्ड) करवा लें, जिससे उन्हें भविष्य में अपने शेयरों के हस्तांतरण में कोई असुविधा नहीं हो।

ii) शेयरधारकता सुविधा के लिए नामांकन सुविधा

अधिनियम के अनुच्छेद ७२ के अनुसार, सदस्यों के लिए उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है। भौतिक स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए से एक नामांकन प्रपत्र (फॉर्म एसएच-१३) ले सकते हैं या उसे कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभौतिक (डीमटेरियलाइज़्ड) स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को इस बारे में अपने डिपोज़िटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) से संपर्क करना चाहिए।

iii) पर्मनेन्ट अकाउंट नंबर

भौतिक स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पेन कार्ड विवरण पंजीकृत करवाएँ, क्योंकि सेबी की ओर से यह अनिवार्य किया गया है कि हस्तांतरण, स्थानांतरण, संप्रेषण एवं डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने संबंधी सेवाएँ प्राप्त करते समय, हस्तांतरणकर्ता(ओं), हस्तांतरी(यों), उत्तरजीवित संयुक्त धारकों/वैधानिक उत्तराधिकारियों के पेन कार्ड की एक प्रति कंपनी के पास जमा करनी होगी।

iv) शेयरों का अवच्छेदन

कंपनी ने वर्ष २००९ में अपने इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को अवच्छेदित करते हुए रु. १० से रु. २ कर दिया था। जिन सदस्यों के पास अभी भी रु. १० के शेयर सर्टिफिकेट हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ये सर्टिफिकेट कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को भेजकर (इनके संपर्क विवरण नीचे दिए गए हैं) रु. २ प्रति शेयर के अंकित मूल्य के शेयरों के साथ बदलवा लें।

v) लाभांश / दावा-रहित लाभांश / दावा-रहित शेयर

ए) ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एसीएच) के माध्यम से लाभांश का भुगतान

कंपनी लाभांश को सीधे सदस्यों के बैंक खाते में जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत भी कंपनी के लिए सदस्यों का लाभांश इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना अनिवार्य किया गया है। इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस सुविधा का लाभ लेकर बैंक के एसीएच मोड के माध्यम से अपने बैंक खाते में लाभांश तेज़ी से व सुरक्षित रूप से जमा होना सुनिश्चित करें।

जिन सदस्यों के पास डीमेट स्वरूप में शेयर हैं, उन्हें अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स को, जबकि जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हैं, उन्हें कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (इनके संपर्क विवरण नीचे दिए गए हैं) को वे कोर बैंकिंग खाता विवरण बताना चाहिए, जो उन्हें उनके बैंकरों द्वारा आवंटित किए गए हैं। अगर कोर बैंकिंग खाता विवरण उपलब्ध नहीं हों, तो ऐसी स्थिति में कंपनी द्वारा डिमांड ड्राफ्ट जारी किए जाएँगे, जिनमें कंपनी के साथ उपलब्ध मौजूदा बैंक विवरणों का उल्लेख होगा।

बी) दावा-रहित लाभांश

कंपनी के लिए ऐसे लाभांश, जो कंपनी के अप्रदत्त लाभांश खाते में राशि अंतरित होने की तिथि से सात (७) वर्षों की अवधि तक अप्रदत्त/दावा-रहित रहते हैं, को सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षण एवं सुरक्षा निधि ("आईईपीएफ") में अंतरित करना आवश्यक है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के दौरान, ३१ मार्च, २०१३ को समाप्त अंतिम वर्ष के संबंध में दावारहित अंतिम लाभांश आईईपीएफ में अंतरित होगा।

दावा-रहित लाभांशों को आईईपीएफ में अंतरित करने से पहले, उन सदस्यों को वैयक्तिक पत्र / इमेल सूचना / समाचार पत्रो में सूचना द्वारा भेजे / दिए जाएँगे, जिनके दावा-रहित लाभांश अंतरित होना बकाया हैं, जिससे वे ऐसे अंतरण की नियत तिथि से पहले लाभांशों का दावा कर सकें। दावा-रहित लाभांश की जानकारी कंपनी की वेबसाइट : www.bajajelectricals.com पर भी प्रकाशित की जाती है।

३१ मार्च, २०२० को दावा-रहित लाभांश एवं उनके अंतरण की नियत तिथियों के विवरण :

३१ मार्च, २०२० को दावा-रहित लाभांश एवं उनके अंतरण की नियत तिथियों के विवरण :

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	लाभांश घोषित होने की तिथि	दावा-रहित राशि (रु.)	आईईपीएफ खाते में अंतरित होने की नियत तिथि
१.	२०१२-१३	६ अगस्त, २०१३	८२१,१९८.००	५ सितंबर, २०२०
२.	२०१३-१४	३१ जुलाई, २०१४	८५२,६७०.५०	३० अगस्त, २०२१
३.	२०१४-१५	६ अगस्त, २०१५	९६१,७२०.५०	५ सितंबर, २०२२
४.	२०१५-१६	१० मार्च, २०१६	१,८१५,७५५.२०	९ अप्रैल, २०२३
५.	२०१६-१७	३ अगस्त, २०१७	१,६९७,२५३.६०	१ सितंबर, २०२४
६.	२०१७-१८	९ अगस्त, २०१८	१,४७२,२३३.००	७ सितंबर, २०२५
७.	२०१८-१९	७ अगस्त, २०१९	९,६६,३८५.००	५ सितंबर, २०२६

सी) निवेशक शिक्षण एवं सुरक्षा निधि ("आईईपीएफ") में 'शेयरों' का अंतरण (ऐसे मामलों में जहाँ सात (७) क्रमागत वर्षों या उससे अधिक तक लाभांश का भुगतान नहीं हो या वे दावा-रहित रहे हों)।

निवेशक शिक्षण एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं धन-वापसी) नियम, २०१६, यथा संशोधित, के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद १२४(६) के अनुसार, तथा समय-समय पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, कंपनी के लिए ऐसे शेयरों को, जिनके लाभांश सात क्रमागत वर्षों या उससे अधिक की अवधि तक अप्रदत्त/दावा-रहित रहते हैं, को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित आईईपीएफ खाते में अंतरित करना आवश्यक है। उक्त नियमों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार, कंपनी ने आवश्यक संख्या में शेयर आईईपीएफ में अंतरित कर दिए हैं।

आईईपीएफ में अंतरित शेयरों या दावा-रहित लाभांश के संबंध में निवेशक को दावा दाखिल करने हेतु दिशा-निर्देश :

ऐसे निवेशक/जमाकर्ता, जिनके अप्रदत्त लाभांश, परिपक्व जमा या डिबेंचर आदि भूतपूर्व कंपनी अधिनियम, १९५६ और/या अधिनियम के अंतर्गत आईईपीएफ में अंतरित कर दिए गए हैं, वे धनराशि के लिए दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, उन शेयरों के संबंध में भी दावे किए जा सकते हैं, जो निम्नांकित प्रक्रियाओं/दिशा-निर्देशों के अनुसार आईईपीएफ में अंतरित हो गए हैं :

i) लाभांश/शेयरों की धन-वापसी के लिए दावा दाखिल करने हेतु आईईपीएफ की वेबसाइट (www.iepf.gov.in) से फॉर्म आईईपीएफ-५ डाउनलोड करें। यह प्रपत्र भरने से पहले ई-फॉर्म के साथ-साथ वेबसाइट/निर्देश किट में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें।

ii) प्रपत्र भरने के बाद, इसे अपने कंप्यूटर पर सहेज लें और वेबसाइट पर अपलोड लिंक में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उपयुक्त रूप से भरा गया प्रपत्र जमा कर दें। सफलता पूर्वक अपलोड कर देने के बाद, इसकी प्राप्ति निर्मित होगी, जिसमें एसआरएन होगा। इस प्रपत्र की भावी ट्रैकिंग के लिए कृपया इन एसआरएन विवरणों को लिख लें।

iii) उपयुक्त रूप से भरे गए प्रपत्र नं. आईईपीएफ-५ का तथा प्रपत्र अपलोड करने के बाद जारी हुई प्राप्ति का प्रिंटआउट ले लें।

iv) क्षतिपूर्ति बंध-पत्र (इडेम्नीटी बाँड) की मूल प्रति, प्राप्ति की प्रति एवं स्व-प्रमाणित ई-प्रपत्र प्रति को प्रपत्र नं. आईईपीएफ-५ में उल्लेखित अन्य दस्तावेजों के साथ कंपनी के नोडल अधिकारी के पास उसके पंजीकृत कार्यालय में जमा करवाएँ, जिसके लिफाफे पर 'आईईपीएफ प्राधिकरण से धन-वापसी के लिए दावा / आईईपीएफ से शेयरों के लिए दावा', जैसा भी मामला हो, लिखा होना चाहिए। कृपया यह ध्यान रखें कि धन-वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कंपनी के पास दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य है।

v) हर प्रकार से परिपूर्ण दावा प्रपत्रों को संबंधित कंपनी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और कंपनी के सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा दावाकर्ता के आधार-संबद्ध बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से धन-वापसी जमा कर दी जाएगी और/या शेयरों को दावाकर्ता के डीमैट खाते में जमा कर दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

vi) आईईपीएफ धन-वापसी प्रक्रिया के लिए कंपनी के नोडल अधिकारी हैं श्री अजय नागले, एक्ज़िक्युटिव वाइस प्रेसिडेंट तथा मुख्य-वैधानिक एवं कंपनी सचिव।

डी) दावा-रहित शेयर

अनुसूची VI 'दावा-रहित शेयरों के साथ व्यवहार का तरीका' के साथ पठित, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम ३९(४) के अंतर्गत कंपनियों को ऐसे शेयरों को, जो डाक प्राधिकरणों द्वारा 'अनडिलिवर्ड' के रूप में वापस आ गए हैं, अभौतिक (डीमटेरियलाइज़्ड) करने और इन शेयरों को एक 'दावा-रहित संशय खाता' में, जिसे किसी भी डिपॉज़िटरी, यानी नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) या सेन्ट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेस लि. (सीडीएसएल) में से किसी के साथ भी खोला जाना चाहिए, धारित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

ऐसे शेयरों पर सभी प्रकार के कॉर्पोरेट लाभ, यानी बोनस, लाभांश आदि को सात (७) वर्ष की अवधि तक लागू अनुसार दावा-रहित संशय खाते में जमा किया जाएगा और उसके बाद उन्हें निवेशक शिक्षण एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, अंकेक्षण, अंतरण एवं धन-वापसी) नियम, २०१६ (आईईपीएफ नियम), जो अधिनियम के अनुच्छेद १२४(६) के साथ पठित हैं, के प्रावधानों के अनुसार अंतरित कर दिया जाएगा।

सेबी सूचीकरण विनियमों की अनुसूची V के साथ पठित विनियम ३४(३) के तहत, सस्पेंस अकाउंट में शेयरों के विवरण निम्नानुसार हैं :

वर्ष के प्रारंभ में सस्पेंस अकाउंट में पड़ बकाया शेयरों एवं शेयरधारकों की समेकित संख्या	उन शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने वर्ष के दौरान सस्पेंस अकाउंट से शेयर अंतरित करने हेत कंपनी से संपर्क किया है	उन शेयरधारकों की संख्या, जिनके शेयर वर्ष के दौरान सस्पेंस अकाउंट से अंतरित किए गए थे	वर्ष के समापन पर सस्पेंस अकाउंट में पड़े बकाया शेयरा एवं शेयरधारकों की समेकित संख्या	इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेंगे, जब तक ऐसे शेयरों के सही स्वामी द्वारा शेयरों का दावा नहीं किया जाता
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

आई. शेयर पूँजी लेखा-परीक्षण का समाधान

सेबी द्वारा तय आवश्यकता के अनुसार, कंपनी की शेयर पूँजी का त्रैमासिक लेखा-परीक्षण एक स्वतंत्र बाह्य लेखा-परीक्षक द्वारा, जारीकृत एवं सूचीबद्ध पूँजी के साथ, भौतिक स्वरूप में धारित तथा एनएसडीएल, एवं सीडीएसएल के साथ स्वीकृत कुल शेयर पूँजी के समाधान को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए। इसके संबंध में लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र बीएसई लिमिटेड एवं एनएसई को जमा करवा दिया गया है और इसे हितधारक संबंध समिति एवं निदेशक मंडल के समक्ष भी रख दिया गया है।

जे. ३१ मार्च, २०२० को शेयरधारिता का वितरण :

सभी श्रेणियों में शेयरधारिता का वितरण :

श्रेणियाँ	३१ मार्च २०२०		३१ मार्च २०१९	
	शेयरों की संख्या	कुल पूँजी का %	शेयरों की संख्या	कुल पूँजी का %
प्रोत्साहक और प्रोत्साहक ग्रुप	७१८७०८५८	६३.१७	६४२१८४८५	६२.७१
व्यक्ति (एचयूएफ सहित)	१३६६६५३१	१२.०१	१७००५८८९	१६.६१
म्युचुअल फंड्स	१२९९२८२८	११.४२	८३५२२९४	८.१६
एफआईआईज़	९०५१४६४	७.९६	५८३४७१७	५.७०
भारतीय निकाय निगम	१५१६११३	१.३३	२७६५१८५	२.७०
न्यास	२१२६६५५	१.८७	१९०३६७२	१.८६
एनआरआईज़ और ओसीबीज़	१०३५६०५	०.९१	१३३९२३९	१.३१
बीमा कंपनियाँ	५९२८३९	०.५२	-	-
आईईपीएफ	२४६७५८	०.२३	२३४०१६	०.२३
समाशोधन सदस्य	७८९३२	०.०७	२०६९६३	०.२०
वैकल्पिक निवेश निधि	५६१७४४	०.४९	४४९४०५	०.४४
बैंक, एनबीएफसीज़ तथा एफआईज़	२७१८५	०.०२	८९६९१	०.०८
विदेशी नागरिक	१९५	०.००	४५	०.००
कुल	११३७६७७०७	१००.००	१०२३९९६०१	१००.००

३१ मार्च, २०२० को आकार श्रेणी के अनुसार शेयरधारिता का वितरण :

श्रेणीयाँ	फोलीयों की संख्या	कुल शेयरधारकों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
१ से १०००	३९१३६	९०.७०	६९२६९१८	३.०४
१००१ से २०००	१७४३	४.०४	२४८९२३४	१.१०
२००१ से ४०००	९५३	२.२१	२६८९७२०	१.१८
४००१ से ६०००	४३९	१.०२	२१९२३०८	०.९६
६००१ से ८०००	२१९	०.५१	१५२४२७०	०.६७
८००१ से १००००	१३५	०.३१	१२२३१३८	०.५४
१०००१ से २००००	२४४	०.५६	३४०३५५६	१.५०
२०००१ और उससे अधिक	२८०	०.६५	२०७०८६२७०	९१.०१
कुल	४३१४९	१००.००	२२७५३५४१४	१००.००००

के. शेयरों का अभौतिकीकरण (डीमटेरियलाइज़ेशन) एवं तरलता

३१ मार्च, २०२० को, कंपनी के ११२०८४८५१ (९८.५२%) इक्विटी शेयर डिमटेरियलाइज़्ड स्वरूप में थे, जबकि ३१ मार्च, २०१९ को १००५९३६१५ (९८.२४%) इक्विटी शेयर थे। ३१ मार्च, २०२० को भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक विधि में धारित शेयर नीचे बताए गए हैं :

भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारण किए गए शेयर्स :

	३१ मार्च २०२० को स्थिति		३१ मार्च २०१९ को स्थिति		शुद्ध परिवर्तन वित्तवर्ष २०१९-२० के दौरान	
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरधारिता का %
भौतिक (ए)	१६८२८५६	१.४८	१८०५९८६	१.७६	(१२३१३०)	(०.२८)
डिमैट (बी)						
एनएसडीएल	१०९०८६६१३	९५.८९	९७३०९३२७	९५.०३	११७७७२८६	०.८६
सीडीएसएल	२९९८२३८	२.६३	३२८४२८८	३.२१	(२८६०५०)	(०.५८)
कुल डिमैट (बी)	११२०८४८५१	९८.५२	१००५९३६१५	९८.२४	११४९१२३६	०.२८
कुल (ए) + (बी)	**११३७६७७०७**	**१००.००**	**१०२३९९६०१**	**१००.००**	**११३६८१०६**	**-**

एल. बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या किसी भी तरह के परिवर्तनीय इंस्ट्रूमेंट, परिवर्तन तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव: लागू नहीं

एम. क्रेडिट रेटिंग

कंपनी ने वित्तीय वर्ष २०१९-२० के दौरान आईसीआरए लिमिटेड एवं सीएआरई रेटिंग्स लिमिटेड से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की है। वित्तीय वर्ष २०१९-२० के दौरान कंपनी की रेटिंग में गिरावट रही थी, जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं :

रेटिंग एजेन्सी	डेट के विवरण	परिवर्तन/गिरावट के विवरण
आईसीआरए लिमिटेड	लाइन ऑफ क्रेडिट (लाँग-टर्म)	[आईसीआरए]ए+ से [आईसीआरए]ए- तक
	लाइन ऑफ क्रेडिट (शॉर्ट-टर्म)	[आईसीआरए]ए१+ से [आईसीआरए]ए२+ तक
	कमर्शियल पेपर	[आईसीआरए]ए१+ से [आईसीआरए]ए२+ तक
	नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर	[आईसीआरए]ए+ से [आईसीआरए]ए- तक
सीएआरई रेटिंग्स लिमिटेड	कमर्शियल पेपर	सीएआरई ए१+ से सीएआरई ए१ तक

एन. डिबेंचर ट्रस्टी

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ लिमिटेड,

द रुबी, दूसरी मंजिल, एसडब्ल्यू,

२९, सेनापती बापट मार्ग,

दादर (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०२८.

फोन नं. : +९१-२२-६२३००४५१

फैक्स : +९१-२२-६२३००७००

ई-मेल : debenturetrustee@axistrustee.com;

complaints@axistrustee.com

ओ. पत्र व्यवहार हेतु पता :

शेयरधारकों के समस्त पत्र लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजंट या अनुपालन अधिकारी को भिजवाए जाने चाहिए, जिनके पते नीचे दिए गये हैं :

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	**अजय नागले, अनुपालन अधिकारी**
सी १०१, २४७ पार्क, एल बी एस मार्ग,	वैधानिक व सेक्रेटेरियल विभाग
विक्रोली (पश्चिम),	बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
मुंबई - ४०० ०८३.	४५/४७, वीर नरीमन रोड,
फ़ोन : ०२२-४९१८ ६०००	मुंबई - ४०० ००१.
फैक्स : ०२२-४९१८ ६०६०	फ़ोन : ०२२-६११० ७८०० / ६१४९ ७०००
ई-मेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in	ई-मेल : legal@bajajelectricals.com
वेबसाइट : www.linkintime.com	वेबसाइट : www.bajajelectricals.com

कारख़ानों / प्लाँट्स की अवस्थिति :

चाकण इकाई :	**रांजनगांव इकाई :**	**विंड फ़ार्म :**
ग्राम महालुंगे, चाकण,	एमआईडीसी-रांजनगांव,	ग्राम : वंकुसावड़े
चाकण-तलेगांव मार्ग,	ग्राम : ढोकसांगवी,	तालुका : पाटण,
तालुका : खेड़, जिला : पुणे,	तालुका : शिरूर, जिला : पुणे,	जिला : सातारा,
महाराष्ट्र - ४१० ५०१.	महाराष्ट्र-४१२ २१०.	महाराष्ट्र-४१५ २०६.